ADVANCE FOUNDATION FOR MPPSC

SUBJECT- CONSTITUTIONAL COMMISSIONS

विषय – विभिन्न संवैधानिक निकाय

PREFACE

The study of **Various Constitutional and Legislative Commissions** is crucial for understanding the governance framework, policy-making, and institutional structures of India. To help aspirants excel in this subject, **Kothari Group of Institutions** has specially edited this book, making it an **exclusive resource for MPPSC** and equally useful for **MP Top 40 Government Jobs**, including **MP S.I., Patwari, and other state-level exams**.

This book covers a **wide syllabus**, including **the Election Commission, Finance Commission, Law Commission, National and State Human Rights Commissions, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissions, and other constitutional and statutory bodies**. Each topic is explained with **detailed concepts, legal provisions, historical evolution, and practical implications**. Additionally, this book features **previous years' question papers, model papers, and extensive practice exercises** to ensure thorough exam preparation.

Designed to align with the latest exam patterns, this book serves as a **comprehensive study resource** for aspirants. We believe it will be an invaluable tool in their journey toward success.

Best Wishes & Happy Learning!
Kothari Group of Institutions

INDEX

टॉपिक	पेज न .
1 . भारत निर्वाचन आयोग	02 - 07
2. लोक सेवा आयोग: संघ और राज्य	07- 11
3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	11- 16
4. नीति आयोग	16-18
5. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	18-22
6. राष्ट्रीय महिला आयोग	22-26
7. भारत में बाल अधिकार , राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	26- 31
8. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	32-33
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	33-34
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	35-38
11. केंद्रीय सूचना आयोग	38-40
12. राज्य सुचना आयोग	40 -41
13 सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019	41-44
14. केंद्रीय सतर्कता आयोग	44-46
15. राष्ट्रीय हरित अधिकरण	46 –49
16 . भारतीय खाद्य निगम ,	49- 57
महत्वपूर्ण प्रश्न	58-75

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।

भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है जिसमें चुनावों के संचालन के लिये एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है।

चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी।

संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं।

संविधान में चुनावों से संबंधित अनुच्छेद

324 चुनाव आयोग में चुनावों के लिये निहित दायित्व: अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।

325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिये अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान।

326 लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

327 विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति।

328 किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिये कानून बनाने की शक्ति।

329 चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिये बार (BAR)

निर्वाचन आयोग की संरचना

निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के ज़रिये 16 अक्तूबर, 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया।

इसके बाद कुछ समय के लिये इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्तूबर, 1993 को इसका तीन सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है।

इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (दोनों में से जो भी पहले हो) तक होता है।

इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है।

हटाने की प्रक्रिया

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है।

निष्कासन के लिये दो-तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिये सदन के कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक मतदान होना चाहिये।

उपरोक्त पदों से किसी को हटाने के लिये संविधान में 'महाभियोग' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है।

महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिये किया जाता है जिसके लिये संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती।

निर्वाचन आयोग के कार्य

1. चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।

2. इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उप-चुनाव कराने के लिये समय-समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है।

3.यह निर्वाचक नामावली (Voter List) तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी करता है।

4. यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिये स्थान, मतदाताओं के लिये मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएँ और अन्य संबद्ध कार्यों का प्रबंधन करता है।

5. यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करता है।

6 निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है।

७ यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव में 'आदर्श आचार संहिता' जारी करता है, ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए।

8 यह सभी राजनीतिक दलों के लिये प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है।

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) का महत्त्व

यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय भूमिका निभाता है।

राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है।

संविधान में निहित मूल्यों को मानता है अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है।

विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित/संचालित करता है।

मतदाता-केंद्रित और मतदाता-अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न रहता है।

हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मज़बूती प्रदान करने का कार्य करता है।

निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ कालेधन और आपराधिक तत्त्वों का बोलबाला बढ़ा है और इसके परिणामस्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। इनसे निपटना निर्वाचन आयोग के लिये एक बड़ी चुनौती है। राज्यों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है, जिसके तहत कई बार चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है।

चुनाव के लिये सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है।

निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिये पर्याप्त शक्तियाँ नहीं हैं।

किसी राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के वित्तीय विनियमन को सुनिश्चित करने की भी कोई शक्ति निर्वाचन आयोग के पास नहीं है।

हालिया वर्षों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और यह धारणा ज़ोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो आयुक्तों के चुनाव में प्रमुख संस्थागत कमियों में से एक है कम पारदर्शिता का होना, क्योंकि इनका चयन मौज़ूदा सरकार की पसंद पर आधारित होता है।

इसके अलावा EVM में खराबी, हैक होने और वोट दर्ज न होने जैसे आरोपों से भी निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता के विश्वास में कमी आती है।

वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर नौकरशाही की मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की आयोग के सामने बड़ी चुनौती है।

आयोग के जनादेश और जनादेश का समर्थन करने वाली प्रक्रियाओं को और अधिक कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।

नैतिकता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि सक्षम और योग्य व्यक्ति उच्च पदों का दायित्व संभालें।

निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिये राष्ट्रपति के समक्ष नाम प्रस्तावित करे।

(भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तथा अशोक लवासा और सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं।)

राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग की रचना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 व 1951के प्रावधानों के अधीन होती है।

→ 73वें एवं 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु प्रथक से राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है।

→ राज्य की पंचायतों के समस्त निर्वाचनों एवं नगरपालिकाओं के समस्त निर्वाचनों अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत सरकार के संविधान अनुच्छेद 243-k और अनुच्छेद 246-ZA के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।

→ इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।

→ इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

→ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-K के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग(SEC) का गठन जुलाई 1994 में किया गया।

→ यह एक सदस्य आयोग है। आयोग में एक सचिव भी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सांविधिक निकाय है

→ इनका कार्यकाल कार्य ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो पहले हो) होता है।

→ 5 वें निर्वाचन आयुक्त श्री राम लुभाया है।

→ राज्य में नगर निकाय के चुनाव सर्वप्रथम 1964 में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कराए गए।

राज्य निर्वाचन आयोग संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के अनुसार निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का पालन किसी उप निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी किया जा सकेगा।
- निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोच्च पद होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 243(के) तथा 243 (जेड ए) के अनुसार राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के सभी निर्वाचन आयोग के लिए निर्वाचन नामावली की तैयारी अधीक्षण निर्देशन तथा संचालन के लिए उत्तरदाई होता है।
- राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता हैं

कार्मिक व्यवस्था एवं व्यय

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जिसे राजस्थान राज्य की सभी स्थानीय संस्थाओं के पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं के निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्तियां प्रदान की गई है किन्तु इन प्रयोजनों के लिए स्वयं के स्थाई सचिवालय के लिए कार्मिकों के विषय में संविधान द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। राज्य

निर्वाचन आयोग को अपने संवैधानिक दायित्व के लिए या उसके स्थाई सचिवालय द्वारा कार्य संचालन हेतु आवश्यक कार्मिकों की पूर्ति हो नियुक्ति की शक्ति भी नहीं दी गई है

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

1. राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
3. 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्य निकाय था दिनांक 16 अक्टूबर 1989 को तीन सदस्य (दो अन्य निर्वाचन आयुक्त) बनाया गया। 1990 में वापस एक सदस्य बना दिया गया लेकिन 31 अक्टूबर 1993 तीन सदस्य बनाया गया इसके बाद से बहु सदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

अधिसूचना - 1 फरवरी 1994

गठन – 15 फरवरी 1994

यह एक संवैधानिक निकाय है |

भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 243(k) भाग-9 में तथा अनुच्छेद 243(za) भाग-9(क) किया गया है |

73 वे तथा 74 वे संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में पंचायती राज व शहरी निकायों की चुनाव हेतु स्थापना हुई |

नियुक्ति –

- राज्यपाल द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है |

सदस्य संख्या –

केवल 1 सदस्यीय निकाय है |

कार्यकाल व सेवा शर्ते –

राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि , सेवा शर्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा की जाती है | इनके वेतनादि राज्य की संचित निधि पर भारित होते है |

त्यागपत्र – राज्यपाल को देते है |

पदच्युति –

राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की वही प्रक्रिया है , जिस रीति से उच्च न्यायलय के न्यायधीश को हटाया जाता है |

आयोग के कार्य -

1. पंचायतो/नगर पालिकाओ के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करना |
2. स्थानीय निकायों के निर्वाचनो का संचालन
3. मतगणना
4. ग्राम, जनपद व नगरीय निकायों का गठन करना |
5. आचार – संहिता तैयार करना |

6. चुनाव चिन्ह वितरण इत्यादि |

प्रथम अध्यक्ष – श्री एन. बी. लोहानी (1994 - 2000)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव – श्री प्रकाश चन्द्र
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव – श्रीमति विजया श्रीवास्तव

लोक सेवा आयोग: संघ और राज्य

परिचय

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 312** (Article 312) के अनुसार, संसद को संघ और राज्यों के लिये एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएंँ (एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित) बनाने का अधिकार प्राप्त है।
    - इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission- UPSC) द्वारा की जाती है।
    - राज्य स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं हेतु राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission- SPSC) द्वारा भर्ती की जाती है।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है।
    - भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।
    - यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
- केंद्र में UPSC के समानांतर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) कार्यरत्त है।
    - संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत SPSC की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा SPSC की शक्तियों और कार्यों के बारे में प्रावधान किये गए हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 315:** संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों (Public Service Commissions-PSC) का गठन।
- **अनुच्छेद 316:** UPSC के साथ-साथ SPSC के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल।
- **अनुच्छेद 317:** UPSC या SPSC दोनों के सदस्य को हटाना और निलंबित करना।
- **अनुच्छेद 318:** आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 319:** आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध।

- **अनुच्छेद 320:** लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन।
- **अनुच्छेद 322:** लोक सेवा आयोगों के व्यय।
- **अनुच्छेद 323:** लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट।

संघ लोक सेवा आयोग

- **सदस्यों की नियुक्ति:** UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- **कार्यालय:** UPSC का कोई भी सदस्य छह साल की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेगा।
- **पुनर्नियुक्ति:** कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- **त्यागपत्र:** संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
- **सदस्यों का निष्कासन/निलंबन:** संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा।
    - राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय पूर्ण होने से पूर्व भी निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया है।
- **पदच्युत:** UPSC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह:
    - दिवालिया घोषित किया गया है।
    - अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होता है।
    - राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिये अयोग्य है।
- **सेवा की शर्तों को विनियमित करना:** UPSC के मामले में भारत के राष्ट्रपति की शक्ति:
    - आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करता है।
    - आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करता है।
- **शक्तियों पर प्रतिबंध:** UPSC के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा।
- **खर्च:** आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित UPSC का खर्च **भारत की संचित निधि** (Consolidated Fund of India) से लिया जाता है।
- **रिपोर्ट प्रस्तुत करना:** UPSC भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किये गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
    - जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो उन मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है।

- अस्वीकृति के कारणों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व संसद के प्रत्येक **सदन** (Parliament) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

राज्य लोक सेवा आयोग

- **सदस्यों की नियुक्ति:** SPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के **राज्यपाल** द्वारा की जाती है।
- **कार्यकाल:** SPSC के सदस्य छह साल की अवधि के लिये या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं।
- **पुनर्नियुक्ति:** कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण किया है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- **त्यागपत्र:** राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है।
- **सदस्यों का निष्कासन/निलंबन:** SPSC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उनके कार्यालय से हटाया जाएगा।
    - राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है।
    - सदस्यों को हटाने की शर्तें UPSC के सदस्यों के हटाने के समान ही हैं।
- **सेवा शर्तों का विनियमन:** SPSC के मामले में राज्यों के राज्यपाल वहीँ कर्तव्यों का पालन करते हैं जो UPSC के मामले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किये जाते हैं।
    - **शक्ति पर प्रतिबंध:** SPSC के सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा ।
- **खर्च:** SPSC के सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
- **रिपोर्ट:** SPSC अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है।
    - जिन मामलों में आयोग की सलाह मान्य नहीं होगी उन मामलों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को प्रस्तुत करना होगा।
        - अस्वीकृति के कारणों को पहले राज्य विधानमंडल (Legislature of the State) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

सेवा अवधि समाप्त होने पर पुन: नियुक्तियाँ:

- **अध्यक्ष (UPSC):** UPSC का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर रोज़गार हेतु अपात्र होगा।
- **अध्यक्ष (SPSC):** SPSC के अध्यक्ष UPSC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अन्य SPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोज़गार के लिये पात्र नहीं होंगे।

- **अन्य सदस्य (UPSC):** UPSC का सदस्य (अध्यक्ष के अलावा) UPSC या SPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा।
  - वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोज़गार हेतु पात्र नहीं है।

UPSC और SPSC के कार्य:

- **परीक्षा आयोजित कराना:** संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का कर्तव्य है कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाएँ।
- **SPSC को सहायता:** यूपीएससी का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा हेतु संयुक्त भर्ती योजना तैयार करने और संचालन करने में मदद करे, जिसके लिये विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है।
- **PSC के साथ परामर्श:** UPSC और SPSC निम्नलिखित मामलों पर विचार विमर्श करती है:
  - सिविल सेवाओं और सिविल पदों हेतु भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर।
  - उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण में।
  - भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों पर।
  - लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए किसी भी मामले पर सलाह दे।

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार, दो या दो से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिये एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है।
  - तभी संसद कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (Joint State Public Service Commission- JSPSC) की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है।
  - इस प्रकार के संकल्प को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा।
- **अधिकारियों की नियुक्ति:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि JSPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
  - संयुक्त आयोग का सदस्य छह वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।
- **इस्तीफा:** अनुच्छेद 317 के तहत JSPSC का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ दिये जाने के बाद राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है।
- **शक्तियाँ:** अनुच्छेद 318 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

- आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करने से संबंधित।
  - सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करने से संबंधित।
- **रिपोर्ट:** अनुच्छेद 323 के अनुसार, JSPSC का यह कर्तव्य होगा कि वह उन राज्यों के राज्यपालों के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिन्होंने मिलकर आयोग का गठन किया है।
  - प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उन मामलों की व्याख्या करते हुए एक ज्ञापन प्रदान करने हेतु ज़िम्मेदार होता है, जिनमें आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया हो।
  - अस्वीकृति के कारण प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

"भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG-कैग) संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए।"

-डॉ. भीम राव अम्बेडकर

- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (Comptroller & Auditor General of India-CAG) भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।
- यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (Indian Audit & Accounts Department) का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है।
- इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिये सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों (सार्वजनिक धन खर्च करने वाले) की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है।

पृष्ठभूमि

- महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था।
- वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखापरीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा।
- वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत महालेखापरीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय ढाँचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिये प्रावधान करके महालेखापरीक्षक के पद को और शक्ति दी।

- इस अधिनियम में नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख था और भारत के महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्यों का संक्षिप्त विवरण भी।
- वर्ष 1936 के लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों और लेखा परीक्षा कार्यों का प्रावधान किया।
- यह व्यवस्था वर्ष 1947 तक अपरिवर्तित रही। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखापरीक्षक नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 1958 में CAG के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया।
- वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 लागू किया।
- अधिनियम ने CAG को केंद्र और राज्य सरकारों के लिये लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की ज़िम्मेदारी दी।
- वर्ष 1976 में CAG को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया।

ब्रिटेन के CAG से तुलना

- भारत का CAG केवल महालेखापरीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक महालेखाकार की नहीं, जबकि ब्रिटेन में महालेखापरीक्षक के साथ-साथ इसमें नियंत्रक महालेखाकार की शक्ति भी निहित होती है।
- भारत में CAG पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा-जोखा करता है यानी पोस्ट-फैक्टो, जबकि UK में CAG की मंज़ूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा निकाला ही नहीं जा सकता है।
- भारत में CAG संसद का सदस्य नहीं होता, जबकि ब्रिटेन में कैग हाउस ऑफ कॉमंस का सदस्य होता है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार (CAG की सलाह पर) रखना होगा।
- अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी।
- अनुच्छेद 279- 'शुद्ध आय' की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाणपत्र अंतिम माना जाता है।
- तीसरी अनुसूची- भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा IV भारत के CAG और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है।
- छठी अनुसूची के अनुसार, ज़िला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और CAG द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिये।

- इन निकायों के खाते का लेखा-जोखा इस तरह से करना होगा जिस प्रकार CAG उचित समझता है और ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।

कैग की स्वायत्तता

- CAG की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये संविधान में कई प्रावधान किये गए हैं।
- CAG राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। (दोनों में से जो भी पहले हो)
- CAG को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है।
- एक बार CAG के पद से सेवानिवृत्त होने/इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता।
- CAG का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न (कम) नहीं की जा सकतीं।
- उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती हैं।
- CAG के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता।

CAG के कार्य और शक्तियाँ

- CAG को विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने के अधिकार प्राप्त हैं, जैसे-
  - संविधान का अनुच्छेद 148 से 151
  - नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971
  - महत्त्वपूर्ण निर्णय
  - भारत सरकार के निर्देश
  - लेखा और लेखा-परीक्षा विनियम, 2017
- CAG भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है, की संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है।
- भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ-साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ- हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता है।
- संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र या राज्यों के राजस्व से वित्तपोषित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों की आय-व्यय का परीक्षण करता है।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किये जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे- कोई स्थानीय निकाय।
- केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे, उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है।

- केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है।
- किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।
- संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।

CAG और लोक लेखा समिति

(Public Accounts Committee- PAC)

- लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है।
- CAG की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है।
- विनियोग खातों, वित्त खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट की जाँच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है।
- केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों को CAG द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जो संसद में दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती हैं।
- CAG सबसे ज़रूरी मामलों की एक सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को सौंपता है।
- CAG कभी-कभी राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के विचारों की व्याख्या और अनुवाद भी करता है।
- CAG यह देखता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या नहीं। यदि नहीं तो वह मामले को लोक लेखा समिति के पास भेज देता है जो मामले पर आवश्यक कार्रवाई करती है।

चुनौतियाँ तथा अवसर

- वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल होता जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासन में खामियों का पता लगाना आसान नहीं है।
- केंद्र और राज्य सरकारों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही CAG अब कई सार्वजनिक-निजी सहभागी परियोजनाओं (PPP) का ऑडिट भी करता है।
- CAG की नियुक्ति के लिये कोई मानदंड या प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं की गई है।
- कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को CAG के रूप में नियुक्त कर सके। यह विश्व में प्रचलित तरीकों के साथ मेल नहीं खाता।
- CAG को किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने और किसी भी खाते को मांगने का अधिकार है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर ऐसा नहीं हो पाता।
- इसके अलावा ऑडिट में बाधा डालने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आपूर्ति ऑडिट प्रक्रिया के अंत में की जाती है।

- RTI अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों के एक महीने के भीतर जानकारी प्राप्त करने के अधिकार की तरह ऑडिटरों को भी सात दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर रिकॉर्ड उपलब्ध किये जाने चाहिये। ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित विभागों के प्रमुखों को इसकी वज़हों को स्पष्ट करना चाहिये।
- वर्ष 2015 में संसद और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के विधानमंडलों ने लोक लेखा समिति के अखिल भारतीय सम्मेलन में CAG की पूर्ण स्वायत्तता और लोक लेखा समिति का सदस्य बनाए जाने पर चर्चा की, जैसा कि UK और ऑस्ट्रेलिया में होता है।
- हालाँकि भारतीय संविधान CAG को छह साल का कार्यकाल प्रदान करता है, लेकिन 65 साल उम्र की शर्त इसके वास्तविक कार्यकाल की अवधि को कम कर सकती है। कार्यकाल कम होने से नेतृत्व, निरंतरता और विशेषज्ञता की कमी के कारण संस्था के स्वतंत्र और उचित कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UK के CAG और अमेरिका के नियंत्रक महाप्रबंधक का कार्यकाल क्रमशः 10 और 15 वर्ष होता है।
- संघ और राज्यों के खातों के ऑडिट का काम वास्तव में Indian Audit and Accounts Department (IA&AD) के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। हालाँकि भारत में IA&AD के कार्य को वैधानिक मान्यता नहीं दी गई है, जैसा कि UK के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय (National Audit Office) में होता है।
- IT एक्ट की तर्ज पर IA&AD को सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता देने और शक्तियाँ प्रदान करने से ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा IA&AD के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्यों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

पूर्व CAG विनोद राय द्वारा सुझाए गए सुधार

- CAG के दायरे में सभी निजी-सार्वजनिक सहभागी (PPP), पंचायती राज संस्थान और सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों को लाना चाहिये।
- 1971 के CAG एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि शासन में बदलाव से ताल-मेल हो सके।
- नया CAG चुनने के लिये मुख्य सतर्कता आयुक्त (CVC) के चयन की तरह एक कॉलेजियम जैसा तंत्र होना चाहिये।

तौर-तरीकों में बदलाव की ज़रूरत

- हालिया समय में कुछ ऑडिट के दौरान नुकसान के बढ़े हुए अनुमानों या बाहरी आँकड़ों के कारण CAG की आलोचना हुई है। इस तरह के आरोपों से बचने के लिये CAG को कठोर मानकों का पालन करना चाहिये ताकि ऑडिट की अखंडता बाहरी विचारों से प्रभावित न हो।
- सरकारी धन और सार्वजनिक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इसे रोकने के लिये CAG को अपने ऑडिट तंत्र में बदलाव करने चाहिये।
- CAG को सतत विकास लक्ष्यों का ऑडिट करने और GST के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों की जाँच के लिये तैयार किया जाना चाहिये।

- बिग डेटा क्रांति के मद्देनज़र CAG ने वर्ष 2016 में बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ काम किया तथा दिल्ली में डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स के लिये एक केंद्र भी स्थापित किया।
- CAG ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट किया, जिसमें विविध जटिल कार्य शामिल थे। यह भारत के CAG की विश्वसनीयता को दर्शाता है।

नीति आयोग

स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएँ बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एकवर्षीय योजनाएँ काफी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप दशकों तक योजनाएँ बनाने के काम को अंजाम दिया। लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर **नीति आयोग** का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया।

अप्रासंगिक हो गया था योजना आयोग

- 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था।
- भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न-भिन्न ताकतें और कमज़ोरियाँ हैं।
- आर्थिक नियोजन के लिये सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्द्धी के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता।

नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री

उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त

संचालन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।

क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।

तदर्थ सदस्यता: अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य।

पदेन सदस्यता: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।

नीति आयोग के दो प्रमुख हब

- **टीम इंडिया हब-** राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है।

- **ज्ञान और नवोन्मेष (Knowledge & Innovation) हब-** नीति आयोग के थिंक-टैंक की भाँति कार्य करता है।
- नीति आयोग ने तीन दस्तावेज़ जारी किये हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज़ और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज़ शामिल हैं।

नीति आयोग के उद्देश्य

- यह मानते हुए कि मज़बूत राज्य ही एक मज़बूत राष्ट्र बनाते हैं, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिये राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना।
- ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिये तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियाँ शामिल की गई हैं।
- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हैं।
- प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना।
- राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्यायसंगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हित धारकों तक उनको पहुँचाना।

नीति आयोग और योजना आयोग में प्रमुख अंतर

नीति आयोग	**योजना आयोग**
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था।
यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है।	यह सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था।
यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है।	इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।

यह Bottom-Up Approach पर कार्य करता है।	यह Top-Down Approach पर कार्य करता था।
इसे नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	यह राज्यों के लिये नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिये धन आवंटित करता था।
इसे धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं हैं जो वित्त मंत्री में निहित हैं।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियाँ प्राप्त थीं।

- योजना का विकेंद्रीकरण है, लेकिन पंचवर्षीय योजना के भीतर।
- परंपरागत नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर ज़िम्मेदारियाँ तय करना।
- नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने तथा उसमें सुधार के एजेंडे में योगदान दे सकता है।
- नीति आयोग में देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधि बनने की क्षमता है।

योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिये इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिये और यह योजना तथा गैर-योजना के रूप में नहीं बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिये। इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढाँचे का घाटा दूर हो सकता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव के विकास के लिये कुछ अधिकार समान रूप से सभी को उपलब्ध होने चाहिये। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इन अधिकारों अर्थात मानवाधिकारों से वंचित हैं। हम अक्सर यह सुनते आए हैं कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता रहता है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण द्वितीय विश्वयुद्ध है। विश्वयुद्ध के दौरान जहाँ व्यापक जन-धन की हानि हुई वहीँ मानवाधिकारों का भी व्यापक उल्लंघन हुआ। लाखों लोग शरणार्थी जीवन जीने के लिये विवश हो गए। सभ्य समाज का हिस्सा होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों का संरक्षण बेहद ज़रूरी है।

इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणापत्र जारी किया। 16 दिसंबर, 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता' तथा 'आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते' का प्रारूप प्रस्तुत किया जिस पर भारत भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है। इस आलेख में मानव अधिकार अधिनियम की विशेषताएँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना, उद्देश्य, कार्य, शक्तियों और आवश्यक सुधारों पर चर्चा की जाएगी।

मानव अधिकार क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये बिना सभी को प्राप्त हैं।
- मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार, आदि शामिल हैं।
- कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हक़दार होता है।
- **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना

- NHRC एक बहु-सदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री सहित लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उप-सभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृहमंत्री शामिल होते हैं, की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त ये पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किये जा सकते हैं।
- एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिये।

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ

- भारतीय लोकतंत्र तीन स्तंभों के मध्य शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है।
- ये तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। इनमें प्रत्येक स्तंभ एक-दूसरे के साथ 'चेक एंड बैलेंस' के सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं।
- हालाँकि, वर्तमान में शासन और प्रशासन की जटिलताओं के कारण स्वतंत्र निकायों की आवश्यकता है, जो निरीक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिये विशेषज्ञता प्राप्त हैं।
- इन स्वतंत्र निकायों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है।
- प्रायः मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, परंतु राष्ट्र-राज्य की आधुनिक अवधारणा में संवैधानिक और वैधानिक (निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय व राज्य मानव अधिकार आयोग) निकायों को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाने लगा है।
- तीन अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना चाहिये। इसमें कम-से-कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है।

- इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांग व्यक्तियों के कार्यालय के मुख्य आयुक्त को भी NHRC का सदस्य नियुक्त किया गया है।

स्थापना:

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) की स्थापना की गई। इसे मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा **संशोधित** किया गया था।

यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, जिसे पेरिस (अक्तूबर 1991) में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिये अपनाया गया था तथा दिसंबर 1993 में **संयुक्त राष्ट्र की महासभा** द्वारा अनुमोदित किया गया था।

संरचना:

प्रमुख सदस्य:

यह एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। एक व्यक्ति जो **भारत का मुख्य न्यायाधीश** या **सर्वोच्च न्यायालय** का न्यायाधीश रहा हो, वह **अध्यक्ष** होता है।

नियुक्ति:

इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री सहित **लोकसभा अध्यक्ष,** राज्यसभा का उप-सभापति, **संसद के दोनों सदनों** के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृहमंत्री शामिल होते हैं, की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

कार्यकाल:

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का **कार्यकाल 3 वर्ष या वे 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक पद धारण** करते हैं।

राष्ट्रपति **कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा** सकता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य और शक्तियाँ

- मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो NHRC को उसकी जाँच करने का अधिकार है।
- इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

- आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल के बंदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिये सुझाव दे सकता है।
- NHRC संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु प्रदान किये गए रक्षोपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलावों की सिफारिश भी कर सकता है।
- NHRC मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है।
- आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है।
- आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है।
- इसके पास मुआवज़े या हर्जाने के भुगतान की सिफ़ारिश करने का भी अधिकार है।
- NHRC की विश्वसनीयता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज़ होती हैं।
- यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की सिफ़ारिश भी कर सकता है।
- आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सीमाएँ

- NHRC के पास जाँच करने के लिये कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जाँच करने का आदेश देता है।
- NHRC के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है, वह किसी को निर्णय लागू करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।
- NHRC उन शिकायतों की जाँच नहीं कर सकता जो घटना होने के एक साल बाद दर्ज कराई जाती हैं और इसलिये कई शिकायतें बिना जाँच के ही रह जाती हैं।
- अक्सर सरकार या तो NHRC की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देती है या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है।
- राज्य मानव अधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जाँच करने से रोका जाता है।
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति वाली चयन समिति में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, जिससे हितों का टकराव होने की आशंका होती है। इसके अतिरिक्त नियुक्ति के मापदंडों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है।

प्रमुख सुझाव

- NHRC को सही मायनों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक कुशल प्रहरी बनाने के लिये उसमें कई सुधार किये जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा आयोग के निर्णयों को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है।
- NHRC की संरचना में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा इसमें आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति वाली चयन समिति में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों के अतिरिक्त सिविल सोसायटी के सदस्य भी शामिल किये जाने चाहिये, ताकि आयोग पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव न डाला जा सके।
- NHRC को जाँच के लिये उचित अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया काडर तैयार कर प्रदान किया जाना चाहिये ताकि सभी मामलों की स्वतंत्र जाँच की जा सके।
- मानव अधिकार आयोग किसी भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच नहीं कर सकता है, अगर शिकायत घटना के एक वर्ष बाद की गई हो। इस तरह का प्रावधानों को निरसित कर देना चाहिये।
- सरकार द्वारा मानव अधिकार आयोग को सशस्त्र बलों के खिलाफ मानव अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में जाँच करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिये।
- सरकार द्वारा आयोग के निर्णयों को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावकारिता में वृद्धि की जा सकती है।
- भारत में मानव अधिकार की स्थिति को सुधारने और मज़बूत करने के लिये राज्य अभिकर्त्ताओं और गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं (State & Non-state Actors) को एक साथ मिलकर काम करना होगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग

स्थापना

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 (भारत सरकार की 1990 की अधिनियम सं. 20) के अंतर्गत जनवरी 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में **निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी:**

महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना;
सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा;
शिकायतों के सुधार की सुविधा प्रदान करना और
महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना।
कार्यों का लेखा-जोखा
अपने जनादेश के मुताबिक, आयोग ने महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं और रिपोर्ट के अन्दर वर्ष भर उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किए हैं। आयोग ने लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/

UTs का दौरा किया और महिलाओं और उनके सशक्तिकरण के मूल्यांकन के लिए 'जेंडर प्रोफाइल' तैयार किया। इन्होंने बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त की और अपनी ओर से अनेक मामलों में शीघ्रता से न्याय के काम किए। इसने बाल विवाह का मुद्दा उठाया, वैधानिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, पारिवारिक महिला लोक अदालतों की स्थापना और कानूनों जैसे दहेज निषेध अधिनियम 1990, PNDT अधिनियम 1994, इंडियन पैनल कोड 1860 और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की समीक्षा की ताकि उन्हें अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। आयोग ने वर्कशॉप/कंसल्टेशन, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया, लैंगिक जागरूकता के लिए वर्कशॉप/सेमिनार का आयोजन और मादा भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा, इत्यादि के खिलाफ जन अभियान चलाए ताकि इन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज में जागरूकता बन सके।

संक्षिप्त इतिहास

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 (भारत सरकार की 1990 की धारा सं. 20) के अंतर्गत जनवरी 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा; सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा, शिकायतों के सुधार की सुविधा प्रदान करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्यों से स्थापना की गई थी।

भारत में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति (स्टेटस ऑफ वुमेन इन इन्डिया – CSWI) ने लगभग दो दशक पहले, शिकायतों के निपटान के लिए निगरानी कार्यों की पूर्ति तथा महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक विकास को त्वरित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अनुशंसा की।

महिलाओं की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष योजना (1988 – 2000) के साथ-साथ अनुक्रमिक समिति / आयोग / नीति ने महिलाओं के लिए शीर्ष निकाय के विधान की अनुशंसा की।

वर्ष 1990 के दौरान, केन्द्र सरकार ने एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ मिलकर आयोग प्रस्तावित संरचना, कार्यों, शक्तिओं की स्थापना की।

मई 1990 में, बिल को लोकसभा में लाया गया।

मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग

प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, सिथति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिशिचत करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों एवं अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है ।

2 राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक और संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्यरत है । यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त हैं । इस आयोग को सतर्क

जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक की हैसियत प्राप्त है। आयोग ऐसा अधिकार पूर्ण निकाय है जिसकी सिफारिशों को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती है।

3 यह आयोग सात सदस्यीय है, छ: सदस्य अशासकीय व एक सदस्य शासकीय है। राज्य सरकार ने अशासकीय में से अध्यक्ष को मंत्री तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 1998 को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 (क्र0 20 सन 1996) की धारा 3 के तहत किया गया।

संरचना

अध्यक्ष 1

अशासकीय सदस्य 5

सदस्य सचिव 1

आयोग की अध्यक्षा एवं सभी अशासकीय सदस्य विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि) से मनोनीत किये जाते हैं।

आयोग के शासकीय सदस्य सचिव शासकीय विभाग के होते है।

आयोग को प्राप्त सिविल अदालत की शकितयाँ

किसी व्यकित को सम्मन किया जा कर उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना।

किसी दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना।

थ्शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्राहय करना।

किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यापेक्षा करना।

साक्षियों व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का कार्य

• आयोग निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं भी कृत्यों का पालन करेगा अर्थात

• महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबंधित संरक्षणों से संबंधित समस्त मामलों को अन्वेषण तथा संपरीक्षण करना

• राज्य सरकार को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समयों पर, जैसा कि आयोग उचित समझे, ऐसे संरक्षणों के कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना

• संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के संबंध में किए गए उपबंधों के उल्लघंन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों तक ले जाना

• महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना,

• ऐसे मुकदमों का धन देना, जिनमें ऐसे मुददे अन्तर्वलित हैं, जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते है।

निम्नलिखित के संबंध में गहन अध्ययन करना : राज्य की महिलाओं की आर्थिक, शैक्षाणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी सिथति इसमें विशिष्टतया आदिवासी जिलों तथा ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो महिलाओं की साक्षरता, मृत्यु-दर तथा आर्थिक विकास की दृषिट से कम विकसित है। वे परिसिथतियां जिनमें महिलाएं कारखानों स्थापनाओं, निर्माण स्थलों तथा वैसी ही अन्य सिथतियों में कार्य करती हैं और उक्त क्षेत्रों में महिलाओं की प्रासिथति में सुधार हेतु विशिष्ट रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सिफारिश करना है। राज्य में या चुने हुए क्षेत्रों में, महिलाओं के विरूद्ध उन समस्त अपराधों की, जिनके अंतर्गत महिलाओं के विवाह तथा दहेज, बलात्कार, व्यपहरण, अपहरण, छेड़छाड़, महिलाओं के अनैतिक व्यापार से संबंधित मामले तथा प्रसव करवाने या नसबंदी करवाने के समय चिकित्सीय उपेक्षा या गर्भधारण या शिशु जन्म से संबंधित चिकित्सीय हस्तक्षेप के मामले आते हैं, समय-समय पर जानकारी संकलित करना। महिलाओं के प्रति अत्याचारों के विरूद्ध संपूर्ण राज्य में या विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में लोकमत जुटाने के लिए राज्य प्रकोष्ठ और जिला प्रकोष्ठों, यदि कोई हो, के साथ समन्वय करना जिससे ऐसे अत्याचारों संबंधी अपराध की शीघ्र रिपोर्ट की जाने तथा पता लगाए जाने और ऐसे अपराधों के विरूद्ध लोकमत जुटाने में सहायता मिलेगी।

मान. आयोग द्वारा शासनगृह विभाग को भेजी गई अनुशंसाए

1. पीड़ित महिला जिस किसी थाने में षिकायत करने जावे उसी थाने में उसकी षिकायत की रिर्पोट दर्ज की जावे
2. मेडिकल भी अविलम्ब उसी थाने के द्वारा महिला चिकित्सक से कराया जावे। शासकीय चिकित्सक उपलब्ध न होने की दषा में रजिस्ट्रर्ड मेडिकल प्रेक्टिट्रषनर से कराय।
3. चूकि अधिकतर बलात्कार के प्रकरण में चिकित्सक की रिपोर्ट अस्पष्ट होती है अथवा वह पीडिता के व्यकितगत जीवनषैली जिसका प्रकरण से लेना देना नही होता है के बारे में अपना अभिमत देते है। मेडीकल करने वाले चिकित्सक को इन प्रकरणों के लिये विषेष रूप से समय-समय पर प्रशिक्षित किया जावे।
4. आवष्यक रूप से क्लास वन महिला अधिकारी द्वारा जाच कराई जावे।
5. बलात्कार के प्रकरणों में अनुसंधान की कार्यवाही एक निषिचत अवधि में पूर्ण करने के निर्देष प्रत्येक विवेचना अधिकारी को दिये जाये जिससे अनावष्यक विलम्व न हो।
6. पीड़िता को तुरन्त मनोवेज्ञानिक एवं चिकित्सयी सुविधा उपलब्ध कराई जावे, यह सुनिषिचत किया जाये कि इस अपराध के घटने से महिला को कोई शरीरिक बीमारी होने की सम्भावना तो नही है जैसे एडस, यूरीनरी इन्फेक्सन आदि। अपराध घटित होने से पीड़िता को गर्भ ठहराने की संभावना होती है इसका निदान किया जाना चाहिये।
7. पीड़िता एवं गवाहों के ब्यान धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत तत्काल लिये जावे एवं धारा 54 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपियों की पहचान की कार्यवाही तत्काल कराई जाये।
8. बलात्कार के प्रकरणों की सुनवाई हेतु संभागीय स्तर पर अलग से फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाया जावे।
9. प्रदेष में होने वाले हर दर्ज बलात्कार के अपराध की रिर्पोट जिसमें मेडिकल रिर्पोट आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना एवं जांच से जुडे सभी पहलुओं की जानकारी 7 दिवस में आवष्यकरूप से राज्य महिला आयोग को भेजी जावे

10. आवष्यक रूप से पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं ज्यूडिषरी को महिलाओं के प्रति संवेदनषील बनाने की कार्यवाही समय समय पर की जाए। 11. बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को लिए पुर्नवास कार्यक्रम लागू किया जावे।

भारत में बाल अधिकार:

चर्चा का कारण

अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस (World Children's Day) प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की स्थापना 1954 में की गयी थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। गौरतलब है कि भारत में इस दिन को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि

अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस (International Children's Day) सबसे पहले सन 1954 में 20 नवंबर को मनाया गया था। इस दिवस की परिकल्पना एक भारतीय नागरिक वी-के कृष्ण मेनन ने की थी। 20 नवंबर का बाल दिवस के रूप में महत्त्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1959 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा (General Assembly) ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। वर्ष 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अभिसमय (Convention) को अपनाया। यह अभिसमय सितम्बर, 1990 में प्रभाव में आया। इस समझौते पर विश्व के 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करते हुए अपने देश में सभी बच्चों को जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, संपत्ति, योग्यता आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के संरक्षण देने का वचन दिया है। केवल अमेरिका ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस बाल अधिकार समझौता पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यत्तफ़ की थी।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय

इस संधि के जरिए पहली बार सरकारों ने माना कि बच्चों के पास भी वयस्कों की तरह ही मानवाधिकार हैं। इस अभिसमय में 54 अनुच्छेद हैं। इसमें अनेक प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं- जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता और नाम पाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विवेक और धर्म का अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर या पत्रचार में गैर-कानूनी और निरंकुश हस्तक्षेप से सुरक्षा पाने का अधिकार तथा उच्चतम स्वास्थ्य स्तर का उपभोग करने का अधिकार।

इस अभिसमय के अंतर्गत सदस्य देशों को बच्चों की सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाओं तथा आर्थिक शोषण और मादक द्रव्यों के अवैध प्रयोग से रक्षा करने के लिये सभी उपयुक्त कदम उठाने पड़ते हैं। सदस्य देशों से सशस्त्र विद्रोहों में बच्चों से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का आदर करने की भी अपेक्षा की जाती है। शरणार्थी और दिव्यांग बच्चों के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों की भी व्यवस्था की गई है।

इस अभिसमय में दस स्वतंत्र सदस्यों वाली एक बाल अधिकार समिति के गठन का भी प्रावधान है। यह समिति अभिसमय में निर्दिष्ट बाल अधिकारों को प्रभावशाली बनाने की दिशा में उठाये गये कदमों और उन अधिकारों का उपयोग करने की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में तथा सदस्य देशों द्वारा जारी की गयी रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिये अधिकृत है। समिति पर यह समीक्षा करने की जिम्मेदारी है कि सरकारें संधि में तय मानकों का किस तरह

पालन कर रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत संधि को स्वीकृति मिलने के दो साल के भीतर और उसके बाद हर पाँच साल पर प्रत्येक सदस्य देश एक रिपोर्ट साझा करता है जिसके बाद चिह्नित देश को बेहतरी के लिए अनुशंसाओं के बारे में बताया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में संधि के जरिए स्वस्थ जीवन और टिकाऊ आजीविका की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया। लेकिन 26 करोड़ से ज्यादा बच्चे और युवा अब भी स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, 65 करोड़ से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी जाती है और हर चार में से एक बच्चा ऐसे इलाकों में रहने को मजबूर हैं जहाँ वर्ष 2040 तक सीमित जल संसाधन होंगे। ऐसे में सदस्य देशों से अपील की गई है कि नई चुनौतियों को देखते हुए सदस्य देशों को अपने संकल्पों और मजबूत बनाने होंगे। अमेरिका को छोड़कर अब तक 196 देश इस संधि पर मुहर लगा चुके हैं हालांकि उसने भी इसे स्वीकृति देने की मंशा जाहिर की है। बाल अधि कार संधि के पारित होने के बाद, पहले से कहीं ज्यादा बच्चों को जरूरी संरक्षण और सहारा मिल रहा है और पाँच से कम उम्र के बच्चों की मौतों के मामले में पचास फीसदी की कमी आई है। साथ ही कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। आधुनिक दुनिया में बच्चों और युवाओं को पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उनके अनुरूप कार्रवाई में बदलाव के प्रयास किये जा रहे हैं।

भारत प्रारम्भिक समय से ही बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरे व जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। भारत में भी पूरी दुनिया के साथ 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक बच्चा का मतलब है वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है। यह वैश्विक स्तर पर बालक की परिभाषा है, जिसे बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में स्वीकार किया गया है। इसे दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता दी है जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत में भी 18 साल की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है। साल 1992 में यूएनसीआरसी (United nations Convention on the rights of the Child) को स्वीकार करने के बाद भारत ने अपने बाल कानून में काफी फेरबदल किया। इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और वह राज्य से ऐसी सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है।

इसके लिए भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं-

- **अनुच्छेद 21-क:** 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा।
- **अनुच्छेद 24:** 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा।
- **अनुच्छेद 39(घ):** आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या समता के उपयुक्त नहीं है, से सुरक्षा।
- **अनुच्छेद 39(च):** बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ मुहैया कराना और शोषण से बचाना।

इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार आदि शामिल है।

भारत में बाल अधिकार एवं चिंताएँ

- नीति आयोग के अनुसार, भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 34 के करीब है। जबकि पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में यह आंकड़ा देखा जाए तो यह प्रति हजार पर 39 है। इनमें से अधिकांश बच्चों की मृत्यु डायरिया और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों के चलते होती है। 2016 में केवल डायरिया और न्यूमोनिया से करीब तीन लाख बच्चों की मौत हो गई थी। ये वे बीमारियाँ हैं जिनका इलाज आराम से हो सकता है।
- भारत में हर साल अकेले कुपोषण से ही 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश उन भारतीय राज्यों में शुमार हैं, जहां हर 10 में से चार बच्चे कुपोषित हैं। देश में छः साल तक के 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण और कम वजन के शिकार हैं।
- शिक्षा की बात करें तो लगभग 10 करोड़ बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (डाइस) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर सौ बच्चों में से महज 32 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पूरी कर पा रहे हैं। इनमें करीब एक करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो घर की खराब आर्थिक हालत के चलते पढ़ाई के साथ काम करने को भी मजबूर हैं।
- विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर हैं। बाल अधिकारों के हनन के सर्वाधिक मामले भी भारत में ही होते हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। एकल परिवारों में बच्चे साइबर बुलिंग का भी शिकार हो रहे हैं।
- बच्चों के बारे में उचित एवं विश्वसनीय आंकड़ों का भी अभाव है।
- भारत में बच्चे आबादी का लगभग 40% हैं। बच्चे अपनी सामाजिक, आर्थिक और भूराजनीतिक परिस्थितियों की वजह से असहाय हैं।
- बालश्रम, बच्चों से दुर्व्यवहार, विस्थापन और असुरक्षित प्रवासन की चिंताएँ।
- पेशेवर यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीद-फरोख्त एक गंभीर चुनौती है।
- घरेलू कार्य, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार और पोर्नोग्राफी की समस्या भी बनी हुई है।

बाल विकास के लिए योजनाएँ

आंगनवाड़ी सेवा: इस योजना का उद्देश्य छः साल से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास करना है। इस योजना के तहत छः साल से कम आयु के सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएँ एवं धात्री माताओं को लाभार्थी माना गया है।

किशोरी योजना: इस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सुगमता प्रदान करना, शिक्षित करना और सशत्तफ़ बनाना है ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बनाया जा सके।

इसके तहत किशोरियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल के बाहर की किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना है।

राष्ट्रीय शिशु गृह योजना: इस योजना का उद्देश्य कामकाजी माताओं हेतु उनके छोटे बच्चों के लिये एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। यह प्रयास महिला सशक्तिफ़करण की दिशा में एक प्रभावकारी कदम साबित होग। साथ ही यह 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के संरक्षण और विकास की दिशा में भी एक उल्लेखनीय पहल है।

बाल संरक्षण सेवा: इस योजना का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिये सुरक्षित एवं निरापद परिवेश प्रदान करना है। सामाजिक संरक्षण में व्यापक उपायों के माध्यम से बच्चों की उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाहियों को रोकना, इस उद्देश्य में शामिल हैं। गैर संस्थानिक देखरेख पर बल देना, सरकार एवं सभ्य समाज के बीच साझेदारी के लिये एक मंच विकसित करना व बाल संबद्ध सामाजिक संरक्षण सेवाओं में तालमेल स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

बाल संरक्षण कानून

- **बाल विवाह (निषेध) अधिनियम, 2006**
- 1 नवंबर 2007 से लागू।
- इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 1929 के स्थान पर लाया गया था।
- **बालश्रम (संशोधन) अधिनियम, 2016**
- बालश्रम अधिनियम, 1986 को संशोधित किया गया। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम कराना जुर्म माना गया। इस संशोधन के बाद 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में काम करने को वैध माना गया।
- 14-18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक घोषित किए गये क्षेत्रें में काम करना निषेध किया गया।
- बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार पकड़े जाने पर 20000 से 50000 रुपये तक जुर्माना या 6 माह से 3 साल तक कैद या फिर दोनों का प्रावधान है।
- दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे साल भर से तीन साल तक की कैद का प्रावधान है।
- **शिक्षा का अधिकार**
- 86वें संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21क को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है।
- इसके तहत 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्रत और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
- **पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012**
- यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया यह अधिनियम है।

- यह कानून बच्चों को यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे गम्भीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।
- देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चे के माता-पिता की मौजूदगी में होती है।
- इस कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा तय की गई है।
- इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक के जुर्माना और ऐसी सामग्री का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर जेल की सख्त सजा का प्रावधान है।
- इस कानून के तहत बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्रकैद के साथ मौत की सजा का प्रावधान है।
- कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन देकर जल्दी युवा करने को गैर जमानती अपराध बनाया गया है, जिसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है।
- **किशोर न्याय अधिनियम, 2015**
- जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया।
- जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने या सुधार केन्द्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिलेगा।
- 16-18 साल के उम्र के बच्चों से अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती और उन्हें जेल या हवालात में नहीं भेजा जा सकता।
- 16 या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों के जघन्य अपराधों में शामिल होने की स्थिति में उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुदकमा चलाने का निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही लेगा।

- ## राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई है।

आगे की राह

- बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो जो बालकों के व्यक्तित्व, उनके मेधा एवं समस्त शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के उच्चतम स्तर तक विकास की ओर उन्मुख हो।
- शिक्षा में लैंगिक समानता, सहनशीलता आदि का समावेश होना चाहिए।
- शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को उनके अधिकारों का आभास कराती हो।
- शिक्षक बच्चों का रोल मॉडल होता है, अतः बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक इन अधिकारों और बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूक हों। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाय।

- बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं की निगरानी और उनका मूल्यांकन समय-समय पर किया जाना चाहिए।
- बाल संरक्षण कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए।
- कानूनों एवं योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि इनके अधिकारों और समस्याओं के प्रति सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जाए।
- बच्चे किसी भी देश के विकास की नींव होते हैं। यानी अगर हमें अपना भविष्य संवारना है तो बच्चों को तंदुरुस्त और साक्षर बनाना होगा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम CRPA act-2005 के प्रावधानों के तहत किया गया
तथा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम को वर्ष 2006 में संशोधित किया गया।

➥राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन/ सदस्य संख्या

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य से मिलकर के होता है। आयोग के छः सदस्यों में से कम से कम 2 सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं होनी चाहिए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान भी किया गया है आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है

➥नियुक्ति समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं

- प्रधानमंत्री
- दोनों सदनों के विपक्ष के नेता
- गृहमंत्री एवं
- मानव संसाधन विकास मंत्री।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।

➥राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य एवं शक्तियां

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य निम्नलिखित है-

बच्चों के उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की जांच करना

- बच्चों को आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा, एड्स, वेश्यावृत्ति ,भिक्षावृत्ति आदि से बचाने हेतु कदम उठाना
- केंद्र या राज्य सरकारों के तहत आने वाले किशोर सुधार ग्रहों का निरीक्षण करना एवं उचित कार्यवाही करना गरीब बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देना
- बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना
- बाल अधिकारों को श्रेष्ठ रूप से लागू करवाने हेतु विभिन्न अनुसंधान करवाना
- बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों अंतरराष्ट्रीय संधियों और मौजूदा नीतियों की समीक्षा कर बच्चों के हित में उन्हें लागू करवाना
- चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों (SC) के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है।

यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कर्तव्यों के निर्वहन के साथ एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांँच और निगरानी कर सकता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित विशिष्ट शिकायतों के मामले में पूछताछ कर सकता है तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेने के साथ सलाह देना का अधिकार रखता है।

पृष्ठभूमि:

विशेषअधिकारी:

प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।

इस विशेष अधिकारी को आयुक्त (Commissioner) के रूप में नामित किया गया।

65वांँ संविधान संशोधन अधिनियम 1990:

65वांँ संशोधन, 1990 द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम,1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया।

89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003:

इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में दो अलग-अलग आयोगों में बदल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes- NCSC) और अनुच्छेद 338-A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes- NCST) का गठन किया गया।

संरचना:

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना इस प्रकार है:

अध्यक्ष।

उपाध्यक्ष।

तीन अन्य सदस्य।

इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सीलबंद आदेश द्वारा की जाती है।

कार्य:

संविधान के तहत SCs को प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और जांँच करना।

SCs को उनके अधिकार और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों के मामले में पूछताछ करना।

अनुसूचित जातियों से संबंधित सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देना।

इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रपति को नियमित तौर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

SCs के सामाजिक-आर्थिक विकास और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना।

SC समुदाय के कल्याण, सुरक्षा, विकास और उन्नति के संबंध में कई अन्य कार्य करना।

आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (Other Backward Classes-OBCs) और एंग्लो-इंडियन समुदाय के संबंध में भी अपने कार्यों का निर्वहन उसी प्रकार किये जाने की आवश्यकता है जिस प्रकार वह SCs समुदाय के संबंध में करता है।

वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार था। वर्ष 2018 में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को इस ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।

अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु अन्य संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 15 (4)** अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है।
- **अनुच्छेद 16 (4 अ)** यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 17** अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- **अनुच्छेद 46** अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 335** यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा।
- संविधान के **अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332** क्रमशः लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को आरक्षित करते हैं।
- पंचायतों से संबंधित **संविधान के भाग IX** और नगर पालिकाओं से संबंधित **भाग IXA** में SC तथा ST के सदस्यों हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है जो कि SC और ST को प्राप्त है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

संविधान के अनुच्छेद 338A में यह उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के नाम से जाना जाएगा। आयोग का यह कर्तव्य है कि वह संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराए गये सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे।

संविधान के अनुच्छेद **338A** में यह उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के नाम से जाना जाएगा। आयोग का यह कर्तव्य है कि

वह संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराए गये सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे। हालांकि, आयोग के विभिन्न कार्य और शक्तियां हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद **366 (25)** उन समुदायों को अनुसूचित जनजाति के लिए सदर्भित करता है जिनका निर्धारण संविधान के अनुच्छेद **342** के अनुसार किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि केवल वो समुदाय जिन्हें एक आरंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से या एक संसदीय संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है उन्हें ही अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
अनुच्छेद **338A** में इस बात का उल्लेख है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जाना जाएगा।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होता है। आयोग के अध्यक्ष को एक केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उपाध्यक्ष को एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आयोग के अन्य सदस्यों को भारत सरकार के एक सचिव का रैंक प्राप्त होता है।

संवैधानिक प्रावधान
संविधान के अनुसार:
• अनुसूचित जनजातियों के लिए लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जाना जाएगा।
• आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर सहित एक अधिपत्र के माध्यम से की जाएगी।
• आयोग के पास अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति रहेगी।
हालांकि, केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकारें उन प्रमुख सभी नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगे जो अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करते हैं।
उदाहरण के लिए, भारत की अनुसूचित जनजातियां गोंड, आंध्र प्रदेश में भील, अरुणाचल प्रदेश में अपातनी व अदि जैसी जनजातियां हैं।
आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख निम्नवत किया जा रहा है:
शक्तियां -
a) किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उपस्थित होने के लिए बुलाना तथा पूछताछ करना;
b) किसी भी दस्तावेजों की खोज करना और प्रस्तुत करना;
c) हलफनामों पर सबूत प्राप्त करना;
d) किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना;
e) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए मुद्दे को आयोग के पास भेजना; और
f) राष्ट्रपति शासन द्वारा, निर्धारित किसी भी मामले का निर्धारण करना।
आयोग के कार्य:
a) संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराए गये सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और उन पर नजर रखना या अन्य किसी कानून के तहत कुछ समय के लिए लागू करना या भारत सरकार के किसी भी आदेश और सुरक्षा उपायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना;

b) अनुसूचित जनजातियों के लिए बनायी जाने वाली सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में हिस्सा लेना और सलाह देना तथा केंद्र तथा किसी भी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
c) केंद्र या किसी राज्य द्वारा बनाये गये सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के अन्य उपायों की रिपोर्ट तैयार करना जिसके लिए इन्हें प्रभावी बनाने की सिफारिश की गयी है;
d) राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट, और संसद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति से संबंधित अन्य कार्यों के लिए बनाये गये कानूनों को लागू कर इनका निर्वहन करना
e) उन उपायों का निर्माण करना जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उपज से संबंधित स्वामित्व अधिकार देने की जरूरत हेतु कदम उठाना।
f) खनिज संसाधन, जल संसाधनों आदि पर कानून के अनुसार आदिवासी समुदायों के अधिकारों से संबंधित नियम तय करने के लिए और अधिक कदम उठाना।
g) जनजातियों के विकास तथा व्यावहारिक आजीविका की रणनीतियां बनाने के लिए और अधिक कदम उठाना।
h) विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित आदिवासी समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की क्षमता में सुधार करने के लिए कदम उठाना।
i) अपनी भूमि या जगह से जनजातीय लोगों के अलगाव को रोकने और प्रभावी ढंग से उन लोगों का पुर्नवासन करना और उनमें पहले से ही निहित अलगाव की भावना को दूर करने के लिए कदम उठाना।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)

परिचय

- 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
- इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है।
- इससे पहले NCBC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था।

पृष्ठभूमि

- 1950 और 1970 के दशक में काका कालेलकर और बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः दो पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई।
- 1992 के इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जाँच एवं सिफारिश के लिये एक स्थायी निकाय का गठन करे।
- इन निर्देशों के अनुपालन में संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और NCBC का गठन किया।
- वर्ष 2017 में 123वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके।

- अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

- संसद द्वारा एक अलग विधेयक पारित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 को निरस्त कर दिया गया है। अतः 1993 का अधिनियम अब अप्रासंगिक हो गया है।

NCBC की संरचना

- आयोग में पाँच सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य शामिल हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एवं उसके मुहरयुक्त आदेश द्वारा होती है।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 340 अन्य बातों के साथ-साथ "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों" की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है।
- 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दो नए अनुच्छेदों 338 B और 342 A को जोड़ा गया। यह संशोधन अनुच्छेद 366 में भी कुछ परिवर्तन करता है।
- अनुच्छेद 338 B सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जाँच करने के लिये NCBC को अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 342 A राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिये वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। हालाँकि यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके लिये संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी।

शक्तियाँ एवं कार्य

- NCBC सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदत्त संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु संबंधित सभी मामलों की जाँच एवं निगरानी करता है।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेता है तथा सलाह देता है और संघ एवं किसी भी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है।
- यह आयोग सुरक्षापायों के कार्यान्वयन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा आयोग जब भी उचित समझे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

- इस तरह की कोई भी रिपोर्ट या उसका कोई हिस्सा, जो किसी भी राज्य सरकार से संबंधित हो, की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
- NCBC सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है, जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किया गया हो।
- किसी भी मामले पर सुनवाई के दौरान इसे दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

नया आयोग अपने पुराने स्वरूप से किस प्रकार अलग है?

- नए अधिनियम ने यह स्वीकार किया है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण के अलावा विकास की भी आवश्यकता है।
- अधिनियम में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (Socially and Educationally Backward Classes-SEdBCs) के विकास और विकास प्रक्रिया में नए NCBC की भूमिका से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।
- नए NCBC को पिछड़े वर्गों की शिकायतों के निवारण का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है।
- अनुच्छेद 342 (A) पिछड़े वर्गों की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने या हटाने के लिये संसदीय सहमति की अनिवार्यता को अधिक पारदर्शी बनाता है।
- सूची-समावेशन और आरक्षण के अलावा यह विकास एवं कल्याण के सभी मापदंडों में समानता के प्रति प्रत्येक समुदाय के व्यापक तथा समग्र विकास एवं उन्नति को आवश्यक बनाता है।

मुद्दे

- ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए संस्करण द्वारा विश्वसनीय और प्रभावी सामाजिक न्याय व्यवस्था प्रदान किये जाने की संभावना नहीं है।
- नए NCBC की सिफारिशें सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं।
- चूँकि इसे पिछड़ेपन को परिभाषित करने का प्राधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिये यह विभिन्न जातियों द्वारा उन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल किये जाने के लिये की जा रही मांगों के रूप में व्याप्त वर्तमान चुनौती का समाधान नहीं कर सकता है।
- NCBC की व्यापकता को बनाए रखने तथा निकाय की इसके मूल (अनुच्छेद 340) से संबद्धता को समाप्त कर सरकार ने संविधान विशेष संरक्षण की संपूर्ण योजनाओं को खतरे में डाल दिया है।
- विशेषज्ञ निकाय की जो विशेषताएँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित की गईं थीं, वे नए NCBC की संरचना में उपलब्ध नहीं हैं।
- हाल में जारी कुछ आँकड़ों से एस.सी./एस.टी. और ओबीसी श्रेणियों के विषम प्रतिनिधित्व का पता चलता है, ऐसे में मात्र संवैधानिक स्थिति तथा अधिक अधिनियमों से ज़मीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

- अनुच्छेद 338 B (5) NCBC के परामर्श से पिछड़े वर्ग की सूची के आवधिक संशोधन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के अध्यादेश पर मौन है।

सुझाव

- इस संरचना में एक विशेषज्ञ निकाय की वे सुविधाएँ प्रदर्शित होनी चाहिये जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य की गई हैं।
- सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के निष्कर्षों और आयोग की सिफारिशों संबंधी जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
- आयोग की संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता और हितधारकों के प्रतिनिधित्व को दर्शाया जाना चाहिये।
- वोट बैंक की राजनीति के स्थान पर मूल्य आधारित राजनीति के मार्ग का अनुसरण किया जाना चाहिये ताकि आरक्षण का लाभ केवल समाज के पिछड़े वर्गों को ही मिल सके।

केंद्रीय सूचना आयोग

केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत आने वाले कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं आदि से संबंधित शिकायतों और अपीलों पर गौर करती है या देख-रेख करती है। सूचना के अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में भारत सरकार द्वारा की गयी थी। केंद्रीय सूचना आयोग शासन की प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में भारत सरकार द्वारा की गयी थी। केंद्रीय सूचना आयोग शासन की प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इस तरह की पारदर्शिता भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, उत्पीड़न और दुरुपयोग या अधिकार के दुरुपयोग की जांच करने के लिए आवश्यक है।

केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना

केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त और दस से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश के बाद की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा, लोक सभा में नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री शामिल रहते हैं।

उक्त सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त हो। इसके साथ-साथ उनके कानून की जानकारी, प्रबंधन, पत्रकारिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रशासन व शासन, मास मीडिया और सामाजिक सेवा का अनुभव होना चाहिए।

उक्त सदस्य किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश की विधान सभा का सदस्य नहीं होने चाहिए। वह किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी व्यवसाय के साथ जुड़ा नहीं होने चाहिए तथा उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए या उनके पास कोई अन्य लाभ का पेशा नहीं होना चाहिए।

केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां

केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं:

a. यदि किसी मामले में कोई उचित आधार होता है तो आयोग किसी भी मामले में जांच का आदेश दे सकता है।
b. आयोग के पास लोक प्राधिकरण द्वारा अपने फैसले के अनुपालन को सुरक्षित करने की शक्ति है।
c. यदि लोक प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो आयोग उन कदमों को उठाने की सिफारिश कर सकता है जो इस तरह के समानता को बढ़ावा देने के लिए लिये जाने चाहिए।
d. यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत प्राप्त होती है यह आयोग का कर्तव्य है कि वह उस प्राप्त शिकायत की पूछताछ करे ।
i. निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कौन अपनी अनुरोधित जानकारी का जवाब प्राप्त नहीं कर सका है।
ii. वह यह तय करता है कि दी गई जानकारी, अधूरी, भ्रामक या गलत है और प्राप्त जानकारी किसी अन्य मामले से संबंधित है।
iii. एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति के अभाव में कौन व्यक्ति एक सूचना अनुरोध प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाया है;
iv. वह यह तय करता है कि शुल्क के रूप में ली जा रही फीस अनुचित है;
v. किसने उस जानकारी देने से मना कर दिया था जिसका अनुरोध किया गया था।
e. एक शिकायत की जांच के दौरान आयोग उस किसी भी रिकार्ड की जांच कर सकता है जो किसी भी लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में है और इस तरह के रिकॉर्ड पर किसी भी आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में जांच के दौरान सभी सार्वजनिक विवरणों को जांच के लिए आयोग के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।
f. जांच होने के दौरान, आयोग के पास एक सामान्य अदालत की शक्तियां हैं।
g. आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। केंद्र सरकार को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) इसलिए पारित किया गया था ता कि मांगी जा रही जानकारी बहुत सरल, आसान, समयबद्ध और सुगम हो सके जो इस कानून को सफल शक्तिशाली और प्रभावी बनाता है। जानकारी देने के लिए आयोग के पास केवल सीमित शक्तियां हैं और यदि कोई विसंगतियां पायी भी जाती हैं आयोग के पास कार्रवाई करने तक का अधिकार नहीं है। आयोग के पास कम कर्मचारी हैं और इसके पास बहुत सारे मामलों का बोझ है। आयोग में समय पर रिक्त पदों नहीं भरे जा रहे हैं। इन कारणों की वजह से आयोग के पास विशाल मात्रा में पिछला कार्य बकाया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम केवल सरकारी संस्थानों पर लागू होता है और यह निजी उद्यमों पर लागू नहीं होता है। यहां तक कि कुछ सार्वजनिक संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं आना चाहती हैं। जैसे- भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई)। यहां तक कि राजनीतिक दल अपने धन के बारे में जानकारी देने तथा अन्य गतिविधियों को जनता के साथ साझा करने की अनिच्छुक रही हैं।

निष्कर्ष

इसलिए, आयोग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। आयोग को कुशलता से चलाने के लिए आयोग के पास जरूरी लोगों की संख्या हो, इसके लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा जरूर होनी चाहिए। सभी सार्वजनिक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के तहत जनता के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। लोगों को राजनैतिक दलों से जानकारी लेनी चाहिए ताकि वो और अधिक जिम्मेदार बन सके और उनके वित्त पोषण के

स्रोत और अधिक पारदर्शी हो सके। इसे चुनावों में काले धन के उपयोग की भी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा, उन निजी कंपनियों को भी इस अधिनियम के दायरे में आना चाहिए जो सार्वजनिक कार्यों में शामिल हैं।

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस राज्य सूचना आयुक्तों होते हैं। जिनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के बाद राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री होता है तथा इसमें राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित राज्य का एक कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठतम् व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास लाभ का कोई अन्य पद नहीं होना चाहिए तथा वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ या किसी भी व्यापार या किसी पेशे से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है।

राज्य सूचना आयोग की संरचना

राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस राज्य सूचना आयुक्तों होते हैं। जिनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के बाद राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री होता है तथा इसमें राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित राज्य का एक कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठतम् व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास लाभ का कोई अन्य पद नहीं होना चाहिए तथा वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ या किसी भी व्यापार या किसी पेशे से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए।

कार्यकाल और सेवा

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पास 5 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।

राज्य सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य

- आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्व्यन से संबंधित अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार, राज्य विधानसभा के पटल पर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है।
- यदि कोई उचित आधार मिलता है तो राज्य सूचना आयोग किसी भी मामले में जांच का आदेश दे सकता है।
- आयोग के पास लोक प्राधिकरण द्वारा अपने निर्णय के अनुपालन को सुरक्षित करने का अधिकार है।
- यह आयोग का कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति से प्राप्त एक शिकायत की पूछताछ करे।
- एक शिकायत की जांच के दौरान आयोग ऐसे किसी भी रिकार्ड की जांच कर सकता है जो लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में है और इस तरह के रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर रोका नहीं जा सकता है।

जांच करते समय आयोग के पास निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्ति है:

- दस्तावेजों की पड़ताल और निरीक्षण की आवश्यकता होती है;

- गवाहों, या दस्तावेजों और अन्य किसी मामलों का, जिसका निर्धारण किया जा सकता है, की पूछताछ के लिए सम्मन जारी करना।
- लोगों को बुलाना और या उन्हें उपस्थिति होने के लिए कहना तथा उन्हें सही मौखिक या लिखित सबूतों का प्रपत्र देना व दस्तावेजों या चीजों को उनके सम्मुख प्रस्तुत करना;
- शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना
- किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक रिकार्ड प्राप्त करने के लिए प्रार्थन करना।
- जब एक लोक प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तब आयोग इसके पालन को सुनिश्चत करने के लिए कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है।

मूल्यांकन

केंद्र की तरह, इन आयोगों के पास भी बकाया मामलों का बोझ बढता जा रहा है। कम स्टाफ और रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण बकाया मामलों में बढोत्तरी होते जा रही है। अक्टूबर 2014 में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपीले और शिकायतें लंबित थी। लेकिन, इस तरह के उदाहरण भी हैं जहां कोई भी बकाया मामला नहीं है जैसे- मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के पास कोई भी मामला लंबित नहीं है। जानकारी देने के लिए आयोग के पास सीमित शक्तियां हैं और विसंगतियों को देखने के बावजूद भी वह कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है।

हालांकि, राज्य सूचना आयोग सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इस प्रकार ये भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, उत्पीड़न और अधिकार के दुरुपयोग से निपटने में मदद कर रहे हैं।

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

हाल ही में लोकसभा ने **सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 [Right to Information (Amendment) Bill, 2019]** पारित किया। इस विधेयक में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है।

संशोधन के प्रमुख बिंदु:

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु संशोधन के तहत इसे परिवर्तित करने का प्रावधान गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अन्य रोज़गार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएंगी।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 यह प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाएगा, लेकिन इस नए संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार (Right to Information-RTI) अधिनियम, 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।

प्रमुख प्रावधान:

- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज़ों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे।
- प्राप्त सूचना की विषयवस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।
- इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा।
- यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर (यहाँ जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी है) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है।
- इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं।

ऐसे कौन से मामले है जिनमें सूचना देने से इनकार किया जा सकता है?

- राष्ट्र की संप्रभुता, एकता-अखण्डता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।

सूचना के अधिकार के समक्ष चुनौतियाँ

- सूचना के अधिकार अधिनियम के अस्तित्व में आने से सबसे बड़ा खतरा RTI कार्यकर्त्ताओं को है। इन्हें कई तरीकों से उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित किया जाता है।
- औपनिवेशिक हितों के अनुरूप निर्मित वर्ष 1923 का सरकारी गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) RTI की राह में प्रमुख बाधा है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second Administrative Reform Commission) ने इस अधिनियम को खत्म करने की सिफारिश की है जिस पर पारदर्शिता के लिहाज से अमल करना आवश्यक है।

- इसके अलावा कुछ अन्य चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जैसे-
    - नौकरशाही में अभिलेखों के रखने व उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है।
    - सूचना आयोगों को चलाने के लिये पर्याप्त अवसंरचना और कर्मियों/स्टाफ का अभाव है।
    - सूचना का अधिकार कानून के पूरक कानूनों, जैसे- 'व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम' (Whistle Blowers Protection Act) का कुशल क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।

केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) की संरचना

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-3 में केंद्रीय सूचना आयोग तथा अध्याय-4 में राज्य सूचना आयोगों (State Information Commissions- SICs) के गठन का प्रावधान है।
- इस कानून की धारा-12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन, धारा-13 में सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवा शर्तें तथा धारा-14 में उन्हें पद से हटाने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ये नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री बतौर सदस्य होते हैं।

DOPT है इसका नोडल मंत्रालय

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of personnel & training-DoPT) सूचना का अधिकार और केंद्रीय सूचना आयोग का नोडल विभाग हैi।
- अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों और प्राधिकरणों को RTI अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है।
- केंद्र सरकार के 2200 सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों में ऑनलाइन RTI दाखिल करने और उसका जवाब देने की व्यवस्था है। ऐसा इन संस्थानों के कामकाज में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
- आधुनिक तकनीक के उपयोग से RTI दाखिल करने के लिये अब एक पोर्टल और एप्लीकेशन भी उपलब्ध है, जिसकी सहायता से कोई भी नागरिक अपने मोबाइल फोन से किसी भी समय, किसी भी स्थान से RTI के लिये आवेदन कर सकता है।
- राज्य सरकारों को भी RTI पोर्टल शुरू करने की व्यावहारिकता पर विचार करने को कहा गया है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre- NIC) को ऑनलाइन RTI पोर्टल बनाने में राज्य सरकारों की सहायता करने को कहा गया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission- CVC) द्वारा सरकारी संगठनों की सतर्कता इकाइयों में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित करते हुए अधिकारियों के कार्यकाल को किसी एक स्थान पर तीन वर्ष तक सीमित कर दिया है।

- राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु तीन प्रमुख संस्थाएँहैं- **लोकपाल**, **केंद्रीय सतर्कता आयोग** और **केंद्रीय जांँच ब्यूरो** (CBI)।

प्रमुख बिंदु:

दिशा-निर्देश:

- निचले स्तर के अधिकारियों सहित सतर्कता इकाई में कर्मियों का कार्यकाल एक स्थान पर केवल तीन वर्ष तक सीमित होना चाहिये।
    - हालांँकि किसी अन्य स्थान पर पोस्टिंग के साथ कार्यकाल को तीन वर्षों तक और बढ़ाया जा सकता है।
- जिन कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा एक ही स्थान पर सतर्कता इकाइयों में पाँच वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया जाना चाहिये।
- किसी एक संगठन की सतर्कता इकाई से स्थानांतरण के बाद एक व्यक्ति को पुनः स्थानांतरित करने से पूर्व कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि का अनिवार्य कार्यकाल दिया जाएगा।

कारण:

- यह देखा गया है कि एक संवेदनशील जगह पर किसी अधिकारी के लंबे समय तक रहने से अधिकारी में उस स्थान के प्रति एक लगाव विकसित होने की संभावना होती है, इसके अलावा अनावश्यक शिकायतें/आरोप आदि बढ़ जाते हैं।
    - इस दृष्टिकोण में पारदर्शिता, निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में:

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है।
- यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्पादन, समीक्षा एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति (Committee on Prevention of Corruption) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा CVC की स्थापना की गई थी।
- वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (The Central Vigilance Commission Act) द्वारा आयोग के सांविधिक दर्जे की पुष्टि कर दी गई।
- यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति ज़िम्मेदार है।
    - यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है।

कार्य:

- **दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान** (Delhi Special Police Establishment- CBI) के कार्य CVC की निगरानी एवं नियंत्रण में होते हैं क्योंकि यह **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** के तहत अपराधों की जांँच से संबंधित है।
    - CVC भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।

- निम्नलिखित संस्थाएँ, निकाय या व्यक्ति CVC के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं: केंद्र सरकार, लोकपाल, सूचना प्रदाता/मुखबिर/सचेतक (Whistle Blower)

- CVC की अपनी कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। यह CBI तथा केंद्रीय संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (Chief Vigilance Officers- CVO) पर निर्भर है जबकि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत CBI की अपनी अन्वेषण विंग है।

संरचना:

- यह एक बहु-सदस्यीय आयोग है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल होते हैं।

आयुक्तों की नियुक्ति:

- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोकसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य) शामिल होता है।

कार्यकाल:

- इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष (जो भी पहले हो) तक होता है।

पदच्युत:

- राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को उसके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है:
- यदि वह दिवालिया घोषित हो, अथवा
- यदि वह नैतिक आधार पर किसी अपराध में दोषी पाया गया हो, अथवा
- यदि वह अपने कार्यकाल में कार्यक्षेत्र से बाहर किसी प्रकार का लाभ का पद ग्रहण करता हो, अथवा
- यदि वह मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, अथवा
- यदि वह आर्थिक या इस प्रकार के कोई अन्य लाभ प्राप्त करता हो जिससे कि आयोग के कार्यों में वह पूर्वग्रह युक्त हो।

इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को दुराचार व अक्षमता के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है, अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जांँच में दोषी पाया जाता है।

- वे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT)** की स्थापना 18 अक्तूबर, 2010 को **राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (National Green Tribunal Act), 2010** के तहत की गई थी।

- NGT की स्थापना के साथ भारत एक **विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण (Specialised Environmental Tribunal)** स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा (और पहला विकासशील) देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी।
- NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके।
- NGT का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार, NGT के लिये यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए।

NGT की संरचना

- NGT में **अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य** शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- अध्यक्ष की नियुक्ति **भारत के मुख्य न्यायाधीश** के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिये केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है।
- यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम-से-कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हों।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है।

- एक **वैधानिक निकाय** होने के कारण NGT के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है।
- **नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure 1908)** में उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिये NGT बाध्य नहीं है।
- किसी भी आदेश/निर्णय/अधिनिर्णय को देते समय यह यह आवश्यक है कि NGT उस पर **सतत् विकास (Sustainable Development)**, **निवारक (Precautionary)** और **प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)**, आदि सिद्धांत लागू करे।
- अधिकरण अपने आदेशानुसार...

- पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है।
- क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है।

- NGT द्वारा दिए गए को आदेश/निर्णय/अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है।
- NGT अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है :
    - एक निश्चित समय के लिये कारावास जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है।
    - निश्चित आर्थिक दंड जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
    - कारावास और आर्थिक दंड दोनों।
- NGT द्वारा दिये गए आदेश/निर्णय/अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।
- NGT पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है:

1. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
4. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
6. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
7. जैव-विविधता अधिनियम, 2002

- उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिये गए किसी भी निर्णय को NGT के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

NGT का महत्त्व

- विगत वर्षों में NGT ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगलों में वनों की कटाई से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिये सख्त आदेश पारित किये हैं।
- NGT ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिये एक **वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (Alternative Dispute Resolution Mechanism)** स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है।
- इससे उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है।
- पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिये NGT एक अनौपचारिक, मितव्ययी एवं तेज़ी से काम करने वाला तंत्र है।
- यह पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- चूँकि अधिकरण का कोई भी सदस्य पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं होता है और इसीलिये वह बिना किसी भय के स्वतंत्रता-पूर्वक निर्णय सुना सकता है।

चुनौतियाँ

दो महत्त्वपूर्ण अधिनियमों **[वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, 2006)]** को NGT के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा गया है, लेकिन इससे कई बार NGT के काम-काज प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे इन अधिनियमों के अधीन आते हैं।

- NGT के कई निर्णयों को उच्च न्यायालय में **धारा 226** के तहत यह कहकर चुनौती दी जाती रही है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है, जबकि अधिकरण एक वैधानिक संस्था है। यह इस अधिनियम की सबसे बड़ी खामी है कि इसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किन मुकदमों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और किन को नहीं।
- आर्थिक वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालने के कारण NGT के निर्णयों की समय-समय पर आलोचना होती रहती है।
- मुआवज़े के निर्धारण की कोई स्पष्ट विधि न होने के कारण भी अधिकरण आलोचना का शिकार हो जाता है।
- NGT के लिये यह अनिवार्य है कि उसके अधीन जो भी मुकदमा आए उसका निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाना चाहिये, परंतु मानव और वित्तीय संसाधनों के अभाव में NGT ऐसा नहीं कर पाता है।
- NGT का न्यायिक तंत्र भी सीमित संख्या में **क्षेत्रीय पीठों (Regional Benches)** के कारण बहुत अधिक प्रभावित होता है।

NGT के महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय

- वर्ष 2012 में स्टील निर्माता कंपनी POSCO ने इस्पात संयंत्र लगाने के लिये ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता किया था, परंतु NGT ने इसे निरस्त कर दिया, क्योंकि यह समझौता आस-पास के ग्रामीण लोगों के हितों को प्रभावित करने वाला था। NGT के इस आदेश को स्थानीय समुदायों और जंगलों के लिये एक साहसी कदम माना गया।
- वर्ष 2012 में ही एक अन्य मामले में NGT ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इस निर्णय को भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक माना जाता है।
- वर्ष 2013 में उत्तराखंड के मामले में NGT ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया कि वह सभी याचिकाकर्त्ताओं को क्षतिपूर्ति दे। इस निर्णय में NGT ने **प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)** के सिद्धांत का पालन किया था।

- वर्ष 2015 में NGT ने यह आदेश दिया था कि 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीज़ल वाहनों को दिल्ली-NCR में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- वर्ष 2017 में दिल्ली में यमुना के खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसके बाद NGT ने उस पर 5 करोड़ रुपए का ज़ुर्माना लगाया था।
- वर्ष 2017 में NGT ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर यह कहते हुए अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया था कि इस प्रकार के प्लास्टिक बैग से जानवरों की मृत्यु हो रही है और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है।

इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि बहुत कम समय में NGT ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है और पर्यावरण प्रहरी के रूप में अपनी एक अलग छवि निर्मित की है। इसके बावजूद देश में हो रही विकास गतिविधियों के साथ तालमेल स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण हेतु NGT के दायरे को और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता है ताकि देश के विकास के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा किया जा सके।

भारतीय खाद्य निगम

परिचय

भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) 'उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

- FCI एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत वर्ष 1965 में स्थापित किया गया।
    - देश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूँ के अभाव के चलते इस निकाय की स्थापना की गई थी।
    - इसके साथ ही कृषकों के लिये लाभकारी मूल्य की सिफारिश करने हेतु वर्ष 1965 में ही कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP) का भी गठन किया गया।
- इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग

(Commission on Agricultural Costs and Prices- CACP)

- कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।

- आयोग का गठन कृषि उत्पादों के लिये संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) के बारे में सलाह देता है।
- आयोग द्वारा 24 कृषि फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (Fair And Remunerative Price- FRP) की घोषणा की जाती है।
    - गन्ना मूल्य निर्धारण के लिये अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है।
    - वर्तमान में CACP 23 वस्तुओं के MSPs की सिफारिश करता है, जिनमें 7 अनाज (धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी), 5 दलहन (चना, अरहर, मूँग, उड़द, मसूर), 7 तिलहन (मूँगफली, तोरिया-सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजर सीड) और 4 वाणिज्यिक फसलें (खोपरा, गन्ना, कपास और कच्ची जूट) शामिल हैं।

FCI का संगठनात्मक प्रारूप

FCI नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय, पाँच आंचलिक कार्यालयों, पच्चीस क्षेत्रीय कार्यालयों और 170 ज़िला कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से अपने कार्यों का समन्वय करता है।

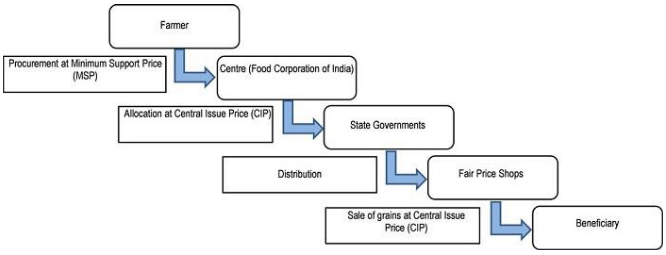

FCI के उद्देश्य

- किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना।
- प्रत्येक व्यक्ति के लिये हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता, पहुँच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिये संकट प्रबंधन उन्मुख खाद्य सुरक्षा को एक स्थिर सुरक्षा प्रणाली में परिवर्तित करने में सहायता करना ताकि कोई भी, कहीं भी और कभी भी भूखा न रह जाए।
- खाद्यान्नों के कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्यान्न का वितरण।
- किसानों के हितों की सुरक्षा के लिये प्रभावी मूल्य सहायता ऑपरेशन (Effective Price Support Operations)।

खाद्य सुरक्षा

खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) के अनुसार खाद्य सुरक्षा के मूलतः चार स्तंभ हैं:

1. **उपलब्धता (Availability):** खाद्य हर समय और सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिये।

2. **खरीद सामर्थ्य (Affordability):** खाद्य सस्ता या खरीद के लिये वहन योग्य होना चाहिये, अर्थात् लोगों के पास खाद्य की खरीद के लिये आर्थिक पहुँच (पर्याप्त आय) मौजूद हो।

3. **अवशोषण (Absorption):** खाद्य सुरक्षित और पौष्टिक होना चाहिये जिसे शरीर स्वस्थ जीवन के लिये अवशोषित कर सके।

4. **स्थिरता (Stability):** खाद्य प्रणाली यथोचित रूप से स्थिर होनी चाहिये, क्योंकि खाद्य प्रणालियों में उच्च अस्थिरता न केवल गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों की स्थिरता को भी खतरे में डालती है।

FCI द्वारा कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियाँ

खरीद (Procurement)

- केंद्र सरकार FCI और राज्य एजेंसियों के माध्यम से गेहूँ, धान और मोटे अनाज की खरीद के लिये समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। सार्वजनिक खरीद एजेंसियाँ FCI द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप सभी खाद्यान्नों की खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तथा प्रोत्साहन बोनस (यदि कोई घोषणा की गई हो) के साथ करती हैं।

- यह खरीद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से की जाती है।

- 1997-98 में शुरू की गई विकेंद्रीकृत खरीद योजना (Decentralized Procurement Scheme-DCP) के तहत खाद्यान्नों की खरीद और वितरण का कार्य स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अधिसूचित राज्य, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System- TPDS) और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और निर्गमन करते हैं।

- खरीद की विकेंद्रीकृत प्रणाली को PDS की क्रय दक्षता बढ़ाने और गैर-पारंपरिक राज्यों में खरीद को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पारगमन हानि तथा लागत को कम करने के लिये प्रस्तुत किया गया था।

- प्रत्येक खरीद मौसम की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार गेहूँ, धान, चावल और मोटे अनाज की गुणवत्ता के लिये एक सार्वभौमिक विनिर्देश की घोषणा करती है।

- FCI का गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग (Quality Control Division) भारत सरकार के सार्वभौमिक गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुरूप खरीद केंद्रों से खाद्यान्नों की खरीद सुनिश्चित करता है।

- दलहन और तिलहन की खरीद के लिये भी FCI को एक अतिरिक्त नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

वितरण (Distribution)

- FCI खरीदे गए अनाज के माध्यम से TDPS की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्य (Central Issue Price) पर जारी किया जाता है।
- FCI उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) के माध्यम से वितरण के लिये अपने बेस डिपो से राज्य सरकार/राज्य एजेंसियों को खाद्यान्न वितरित करता है।
- TDPS और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अत्यधिक रियायती कीमतों पर अनाज वितरित करने को प्रतिबद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद FCI की भूमिका और भी महत्त्वपूर्ण हो गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

- भारत में आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण अंतर-युद्ध अवधि के दौरान भी अस्तित्व में था। लेकिन शहरी अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए PDS की शुरुआत 1960 के दशक के गंभीर खाद्य संकट के समय हुई।
- PDS ने खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि और शहरी उपभोक्ताओं तक खाद्य की पहुँच सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। चूँकि हरित क्रांति के बाद राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई अतः PDS के दायरे को 1970 और 1980 के दशक में आदिवासी प्रखंडों और अत्यंत निर्धनताग्रस्त क्षेत्रों की ओर भी बढ़ा दिया गया।
- PDS सहायक प्रकृति का है, इसलिये यह इसके अंतर्गत वितरित किसी पण्य/कमोडिटी की संपूर्ण आवश्यकता को किसी परिवार या समाज के किसी वर्ग तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य नहीं रखता।
- PDS का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत होता है। केंद्र सरकार FCI के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन तथा राज्य सरकारें इसके थोक आवंटन के उत्तरदायित्व का निर्वाह करती हैं।
- राज्य के भीतर आवंटन, लाभार्थी परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज की निगरानी सहित संचालन संबंधी उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के पास है।
- PDS के अंतर्गत वर्तमान में गेहूँ, चावल, चीनी और केरोसिन जैसे पण्यों का आवंटन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जा रहा है। कुछ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश दालों, खाद्य तेलों, आयोडीन युक्त नमक, मसालों आदि वृहत उपभोग की अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण भी PDS दुकानों के माध्यम से करते हैं।

नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली

(Revamped Public Distribution System- RPDS)

- PDS को सशक्त और सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ पहाड़ी, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में (जहाँ गरीबों का एक बड़ा तबका पाया जाता है) इसकी पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जून 1992 में नवीकृत/संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS) लागू की गई।
- इसमें 1775 प्रखंड (Blocks) शामिल किये गए जहाँ सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएँ (ITDP), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (DDP) जैसे विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे थे। इसके साथ ही राज्य सरकारों के परामर्श से कुछ नामित पहाड़ी क्षेत्रों (Designated Hill Areas- DHA) को विशेष देख-रेख के लिये शामिल किया गया।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

(Targeted Public Distribution System)

- PDS प्रणाली की विफलता के बाद गरीबों को लाभ पहुँचाने और बजटीय खाद्य सब्सिडी को वांछित सीमा तक नियंत्रित रखने के उद्देश्य से 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TDPS) शुरू की गई।
    - अवधारणात्मक रूप में सार्वभौमिक PDS से TDPS की ओर संक्रमण सही दिशा में उठाया गया कदम था, क्योंकि इसे सभी गरीब परिवारों को शामिल करने और उनके लिये इकाई सब्सिडी एवं राशन कोटा बढ़ाने के लिये डिज़ाइन किया गया था।
- TDPS का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को PDS से अत्यधिक रियायती कीमतों पर और गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर खाद्यान्न प्रदान करना है।
- इस प्रकार भारत सरकार द्वारा अपनाई गई TDPS योजना भी PDS के समान ही है, लेकिन यह गरीबी रेखा से नीचे के लोगों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) को अधिसूचित किया गया है जो कि देश की 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के दायरे में लाती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

(National Food Security Act)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल है जिसके माध्यम से लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विशेष बल निर्धनों, महिलाओं एवं बच्चों की आवश्यकताएँ पूरी करने पर है।
- इस अधिनियम में शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था है। अगर कोई लोकसेवक या अधिकृत व्यक्ति इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध शिकायत पर सुनवाई का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके

लिये निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले, इसके लिये खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया।

- इस अधिनियम के तहत समाज के अति निर्धन वर्ग के प्रत्येक परिवार को प्रत्येक माह अंत्योदय अन्न योजना में सब्सिडी दरों पर यानी तीन रुपए, दो रुपए, एक रुपए प्रति किलो चावल, गेहूँ और मोटा अनाज मिल रहा है।
- पूरे देश में यह कानून लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है।

FCI के पुनर्गठन हेतु समिति

खरीद, भंडारण और वितरण के प्रमुख उद्देश्यों में FCI के दोषों को देखते हुए FCI के पुनर्गठन के लिये **शांता कुमार की अध्यक्षता** में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।

समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें:

खरीद से संबंधित मुद्दों पर: समिति का सुझाव है कि FCI को गेहूँ, धान और चावल संबंधी सभी खरीद कार्यों को उन राज्यों को सौंप देना चाहिये जिन्होंने इस संबंध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है और खरीद के लिये उपयुक्त अवसंरचना का निर्माण कर लिया है (जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पंजाब)।

- FCI इन राज्यों की सरकारों से केवल अधिशेष (NFSA के अंतर्गत राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद) स्वीकार करेगा और इस अधिशेष को अभावग्रस्त राज्यों को प्रदान करेगा।
- FCI को उन राज्यों की मदद के लिये आगे बढ़ना चाहिये जहाँ MSP से काफी नीचे की कीमतों पर संकटग्रस्त बिक्री (Distress Sales) करने के कारण किसान पीड़ित होते हैं और जहाँ छोटी जोतों की समस्या हावी है (जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि)।
- यही वह भूमि पट्टी है जहाँ से दूसरी हरित क्रांति की अपेक्षा है और यहाँ FCI को सक्रिय होते हुए राज्य एवं अन्य एजेंसियों को बड़ी संख्या में किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को MSP का लाभ प्रदान करने और उनसे अधिकाधिक खरीद के लिये प्रेरित करने की आवश्यकता है।

परक्राम्य गोदाम रसीद प्रणाली (Negotiable Warehouse Receipt System-NWRS): इसे प्राथमिकता से अपनाते हुए त्वरित कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इस प्रणाली के तहत किसान अपनी उपज को पंजीकृत गोदामों में जमा करा सकते हैं और MSP पर अपनी उपज मूल्य के अनुरूप बैंकों से अग्रिम ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

- NWRS की सुविधा से कृषक अपने उत्पादों को उचित कीमतों पर बेचने में सक्षम हो पाएंगे। इससे निजी क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा तथा सरकार की भंडारण लागत बड़े पैमाने पर कम करेगी।
- सरकार FCI और वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) के माध्यम से इन गोदामों को बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ निर्मित करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है और दैनिक/साप्ताहिक आधार पर जमा अनाज भंडार की ऑनलाइन निगरानी कर सकती है।

- समय के साथ सरकार यह अध्ययन कर सकती है कि क्या इस प्रणाली का उपयोग MSP से नीचे गिरते बाज़ार मूल्य के मामले में किसानों की क्षतिपूर्ति के लिये किया जा सकता है और सरकार पर भौतिक रूप से बड़ी मात्रा में अनाज को संभालने का बोझ नहीं होगा।

MSP नीति पर पुनर्विचार: वर्तमान में MSP की घोषणा 23 पण्यों के लिये की जाती है, लेकिन प्रभावी रूप से मूल्य समर्थन मुख्यतः गेहूँ और चावल को ही प्राप्त होता है और वह भी कुछ चुनिंदा राज्यों में ही। यह कृषकों को गेहूँ और चावल की पैदावार के प्रति अधिक आकर्षित करता है। चूँकि देश में दलहन और तिलहन (खाद्य तेलों) की कमी है, उनकी कीमतें प्रायः किसी प्रभावी मूल्य समर्थन के अभाव में MSP से नीचे चली जाती हैं।

- समिति की सिफारिश है कि दलहन और तिलहन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और सरकार को उनके लिये बेहतर मूल्य समर्थन सुनिश्चित करना चाहिये साथ ही व्यापार नीति के साथ इनकी MSP नीति को संगत बनाना चाहिये ताकि आयातित लागत (Landed Costs) उनके MSP से कम न हो।

भंडारण और परिवहन से संबंधित मुद्दे: समिति की सिफारिश है कि FCI को अपने भंडारण कार्यों को केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, निजी उद्यमी गारंटी (PEG) योजना के तहत सक्रिय निजी क्षेत्र और उसके सहयोग से राज्य में भंडारगृह बना रहीं राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिये।

- यह कार्य प्रतिस्पर्द्धी बोली-प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिये जहाँ विभिन्न हितधारक आमंत्रित हों और भंडारण की लागत को नीचे लाने के लिये उनके बीच प्रतिस्पर्द्धा का लाभ मिले।
- कवर एंड प्लिंथ (CAP) भंडारण को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देना चाहिये जिससे CAP में कोई भी अन्न भंडार तीन माह से अधिक समय तक शेष न रहे। जहाँ भी संभव हो साइलो बैग प्रौद्योगिकी और पारंपरिक भंडारण द्वारा CAP भंडारण को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।
- अनाजों के परिवहन को धीरे-धीरे कंटेनरीकृत किया जाना चाहिये जो पारगमन के नुकसान को कम करने में मदद करेगा और रेलवे के किनारों पर अधिक मशीनीकृत सुविधाएँ होने से उन्हें तीव्रता से कार्यान्वित किया जा सकेगा।

बफर स्टॉकिंग संचालन और परिसमापन नीति: FCI के लिये प्रमुख चुनौतियों में से एक बफर स्टॉक में बफर स्टॉकिंग मानदंडों से अधिक वृद्धि होना है। जब भी भंडार बफर स्टॉक मानदंडों के परे जाए, FCI को ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) या निर्यात बाज़ार में अपने भंडार के परिसमापन (liquidate) के लिये क्रमबद्ध रूप से कार्य करना चाहिये।

- वर्तमान प्रणाली अत्यंत अनौपचारिक, धीमी और राष्ट्र पर भारी बोझ डालने वाली है। एक पारदर्शी परिसमापन नीति समय की आवश्यकता है, जो स्वचालित रूप से तब सक्रिय हो, जब FCI बफर मानदंडों की तुलना में अधिशेष भंडार का सामना करे। OMSS और निर्यात बाज़ारों में काम करने के लिये व्यावसायिक उन्मुखता के साथ FCI को अधिक लचीलेपन की आवश्यकता है।

पूर्णतः कंप्यूटरीकरण (On end to end computerization): समिति ने किसानों से खरीद से लेकर भंडारण, परिवहन और अंततः TDPS के माध्यम से वितरण तक संपूर्ण खाद्य प्रबंधन प्रणाली को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत करने की सिफारिश की है।

- FCI का नया स्वरूप खाद्य प्रबंधन प्रणाली में नवाचारों के लिये समर्पित एक एजेंसी के समान होगा जो खरीद से लेकर भंडारण और अंत में TDPS के माध्यम से वितरण तक खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में प्रतिस्पर्द्धा के सृजन पर प्राथमिकता से ध्यान केंद्रित करेगा ताकि प्रणाली की समग्र लागत में पर्याप्त कमी आए, लीकेज पर रोक लगे और यह किसानों व उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या को लाभ पहुँचाए।

मध्य प्रदेश खाध संरक्षण आयोग |

• खाद संरक्षण आयोग की जरूरत क्यों पड़ी - वर्ष 1965 के लगभग देश में भीषण अन्न का संकट आ गया था। इसी कारण इसकी स्थापना की गई जिससे भविष्य में यदि ऐसी स्थिति आती है तो हमें अन्न या अन्य खाद्य पदार्थों की कमी ना पड़े।

• राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार 21 जुलाई 2017 को मध्यप्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया है।

• इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मुहैया कराना है।

• इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करता को 5 किलो चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज क्र. 3, 2 तथा ₹1 प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

• इसके अंतर्गत प्राप्त लाभकर्ता को संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

• संरचना - एक अध्यक्ष | 5 सदस्य | सदस्य सचिव।

• नोट - आयोग में कम से कम 2 महिलाएं होंगी 1 SC, 1 ST. से होंगी।

• दो या दो से अधिक राज्य संयुक्त राज्य खाद्य आयोग बना सकते हैं।

• आयोग के अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी [श्री राजकिशोर स्वाई होंगे]।

आयोग में दो सदस्य [श्रीमती दुर्गा डावर, मंदसौर] एवं [श्री किशोर खण्डेलवाल, उज्जैन की भी नियुक्ति की गई है] भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी [श्री राजीव चन्द्र दुबे], आयोग के सदस्य सचिव बनाये गये हैं।

• कार्यकाल - अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष (65 वर्ष) की आयु जो पहले हो जाए।

• आयोग का मुख्यालय भोपाल में रहेगा।

• नियुक्ति - राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

• आयोग के कार्य - राज्य सरकार के संबंध में इस अधिनियम के कार्यन्वयन को मॉनिटर करना और इसका मूल्यांकन करना।

• इस अधिनियम के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना। व्यक्तियों को उनकी हकदारियो तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाना।

• जिला शिकायत निवारण और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना।

• वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जो सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

• इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लाई गई योजना-

° **अंत्योदय अन्न योजना -** तत्कालीन प्रधानमंत्री बिहारी वजपेई ने 25 दिसंबर 2000 को इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के एक करोड़ निर्धन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्न

1, निर्वाचन आयोग

1. निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है?
(a) निर्वाचन आयोग
(b) वित्त आयोग
(c) अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
(d) सभी
उत्तर d
व्याख्या: सभी संवैधानिक निकाय है.
2. निर्वाचन आयोग का बारे में कौन सा कथन सही नही है?
(a) यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है
(b) इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं
(c) संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से सम्बंधित उपबंध दिए गए हैं
(d) यह एक अखिल भारतीय संस्था है
उत्तर b
व्याख्या: नगर निगमों के चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग के दायरे में नही आता है.
3. निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं ?
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
उत्तर a
व्याख्या: इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सहित 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं. इस प्रकार कुल 3 आयुक्त होते हैं.
4. मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
(a) संसद
(b) राष्ट्रपति
(c) प्रधानमंत्री
(d) कानून मंत्री

उत्तर b

व्याख्या: राष्ट्रपति

5. निम्न कथनों में से कौन सा सही है?

(a) मुख्य चुनाव आयुक्त व दो अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होतीं हैं.

(b) चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के सामान होते हैं.

(c) राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति करता है

(d) निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है.

उत्तर d

व्याख्या: निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है.

6. निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नही है?

(a) लोक सभा, विधान सभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है

(b) राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना

(c) किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना

(d) विधान परिषद् के सदस्यों की निर्हता से सम्बंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना

उत्तर c

व्याख्या: निर्वाचन आयोग किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द नही कर सकता है इसके लिए उसे राष्ट्रपति से परामर्श लेना होगा.

7. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए?

(a) जैसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है

(b) जैसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है

(c) लोक सभा में प्रस्ताव पारित करके

(d) निम्न में से कोई नही

उत्तर b

व्याख्या: जैसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है

8. प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है.

(a) राष्ट्रपति

(b) मुख्य चुनाव आयुक्त

(c) राज्यपाल

(d) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश

उत्तर b

व्याख्या: मुख्य चुनाव आयुक्त

9. निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नही होता है?

(a) विधान सभा

(b) उपराष्ट्रपति

(c) ग्राम पंचायत

(d) राष्ट्रपति

उत्तर c

व्याख्या: ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है.

10. निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गयी है?
(a) भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना
(b) कम से कम 5 साल एक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना
(c) 35 वर्ष की आयु का पूरा होना
(d) उपर्युक्त में से कोई न ही
उत्तर d
व्याख्या: संविधान में निर्वाचन आयुक्त के लिए कोई अर्हता तय नही की गयी है.

2. वित्त आयोग

1. वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है?
(a) राष्ट्रपति
(b) संसद
(c) वित्त मंत्री
(d) प्रधानमंत्री
उत्तर b
व्याख्या: संसद
2. निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन की बात करता है?
(a) अनुच्छेद 280
(b) अनुच्छेद 275
(c) अनुच्छेद 148
(d) अनुच्छेद 176
उत्तर a
व्याख्या: अनुच्छेद 280
3 . वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं?
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
उत्तर b
व्याख्या: वित्त आयोग में 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है.
4. 14वें वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नही है?
(a) 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015-2020 का है
(b) इसने कर हिस्सेदारी में राज्यों का हिस्सा 42% करने की संस्तुति दी है
(c) कुल करों का सबसे ज्यादा कर का हिस्सा महाराष्ट्र को दिया गया है
(d) जम्मू & कश्मीर को कुल करों का 1.85% हिस्सा दिया गया है
उत्तर c
व्याख्या: कुल करों का सबसे ज्यादा कर का हिस्सा 17.95% उत्तर प्रदेश को दिया गया है.

5. अभी तक कितने वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं?

(a) 12

(b) 13

(c) 14

(d) 15

उत्तर c

व्याख्या: अभी तक 14 वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं.

6. वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है?

(a) संसद

(b) वित्त मंत्री

(c) प्रधानमंत्री

(d) राष्ट्रपति

उत्तर d

व्याख्या: राष्ट्रपति

7. निम्न में से कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष कभी भी नही रहा है?

(a) प्रणब मुखर्जी

(b) महावीर त्यागी

(c) C.रंगराजन

(d) ब्रहमानंद रेड्डी

उत्तर a

व्याख्या: प्रणब मुखर्जी

8 . निम्न में से कौन सा कथन सही नही है?

(a) प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था

(b) अनुच्छेद 281 का सम्बब्ध वित्त आयोग की अनुशंसाओं से है

(c) वित्त आयोग की सिफरिसें केंद्र सरकार के लिए सलाहकारी होती हैं बाध्यकारी नही

(d) वित्त आयोग का गठन 6 वर्ष के लिए किया जाता है

उत्तर d

व्याख्या: वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है

9 . राज्यों को कर में हिस्सा देने के लिए वित्त आयोग ने किस मापदंड को ध्यान में नही रखा है?

(a) राज्य में जनसांख्यिकीय बदलाव

(b) राज्य में वन क्षेत्र

(c) राज्य में आय असमानता

(d) राज्य में शिक्षा का स्तर

उत्तर d

व्याख्या: राज्य में शिक्षा का स्तर

10. भारत में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है?

(a) राष्ट्रपति

(b) वित्त मंत्री

(c) संसद

(d) रिज़र्व बैंक का गवर्नर

उत्तर a

व्याख्या: राष्ट्रपति

3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ......

(a) सांविधिक निकाय है

(b) संवैधानिक निकाय है

(c) एक बहुसदस्यीय संस्था है

(d)a और c दोनों

उत्तर d

व्याख्या: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था है जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ था. वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं इस कारण यह एक बहुसदस्यीय संस्था है.

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है?

(a) जस्टिस ए एस आनंद

(b) जस्टिस एच.एल. दत्तू

(c) जस्टिस एस. राजेंद्र बाबू

(d) जस्टिस के जी बालकृष्णन

उत्तर b

व्याख्या: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू हैं.

3. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है?**

(a) सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश

(b) सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

(c) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति

(d) किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

उत्तर b

व्याख्या: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाता है.

4. निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नही है?

(a) इसकी स्थापना 1993 में की गयी थी.

(b) मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार नही है

(c) इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है

(d)आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजता है

उत्तर c

व्याख्या: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा नही की जाती है बल्कि एक 6 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है.

5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है?

(a) 5 वर्ष या 62 वर्ष तक
(b) 5 वर्ष या 65 वर्ष तक
(c) 6 वर्ष या 65 वर्ष तक
(d) 5 वर्ष या 70 वर्ष तक

उत्तर d

व्याख्या: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या जब तक उनकी उम्र 70 वर्ष ना हो जाये (जो भी पहले हो).

6. निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नही होता है?

(a) राष्ट्रपति
(b) प्रधानमन्त्री
(c) लोकसभा अध्यक्ष
(d) मुख्य विपक्षी दल का नेता

उत्तर a

व्याख्या: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में समिति गठित होती है जिसमे, लोक सभा अध्यक्ष, गृहमंत्री, मुख्य विपक्षी दल का नेता और राज्य सभा उप-सभापति शामिल होते हैं.

7. निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नही है?

(a) कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से सम्बंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना
(b) कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना
(c) किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना
(d) मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना

उत्तर c

व्याख्या: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नही रखता है और ना ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दे सकता है.

8. निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नही रहा है?

(a) जस्टिस के. जी. बालकृष्णन
(b) जस्टिस एस. राजेंद्र बाबू
(c) जस्टिस ए. एस. आनंद
(d) जस्टिस पी. सदाशिवम

उत्तर d

व्याख्या: जस्टिस पी. सदाशिवम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कभी नही रहे हैं?

9. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?

(a) दिल्ली
(b) मुंबई
(c) अहमदाबाद
(d) कलकत्ता

उत्तर a

व्याख्या: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है.एक स्वायत्त विधिक संस्था है. इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी.

10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया है?

(a) 2001

(b) 1999

(c) 2006

(d) 2016

उत्तर c

व्याख्या: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में 2006 में परिवर्तन किया गया है अब इसमें सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गयी है.

4. संघ लोक सेवा आयोग

1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है?

(a) गृह मंत्री द्वारा

(b) राष्ट्रपति द्वारा

(c) संसद द्वारा

(d) सुप्रीम कोर्ट द्वारा

उत्तर b

व्याख्या: राष्ट्रपति द्वारा

2. निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सत्य नही है?

(a) यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है

(b) संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 तक इसके कार्यो और शक्तियों के बारे में बताया गया है.

(c) इसमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं

(d) इसके सदस्यों के चयन के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का वर्णन संविधान में नही है

उत्तर b

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक इसके कार्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है.

3. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफ़ा किसे देते हैं?

(a) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को

(b) सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को

(c) राष्ट्रपति को

(d) गृह मंत्री को

उत्तर c

व्याख्या: राष्ट्रपति को

4. निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सत्य है?

(a) आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है

(b) आयोग के सदस्य और अध्यक्ष 62 वर्ष तक की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं

(c) राष्ट्रपति सदस्य और अध्यक्ष को अपनी मर्जी से हटा सकता है

(d) संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है

उत्तर d

व्याख्या: संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है.

5. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है?

(a) दिवालिया घोषित होने में

(b) दोहरे लाभ के पद पर होने में

(c) मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर d

व्याख्या: उपर्युक्त सभी

6. संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है?

(a) गृह मंत्री को

(b) राष्ट्रपति को

(c) संसद को

(d) सुप्रीम कोर्ट को

उत्तर b

व्याख्या: राष्ट्रपति को

7. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं?

(a) भारत की संचित निधि

(b) भारत की आकस्मिक निधि

(c) वित्त मंत्रालय

(d) इनमे से कोई नही

उत्तर a

व्याख्या: भारत की संचित निधि

8. निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नही है?

(a) अनुच्छेद 315 : संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन

(b) अनुच्छेद 316 : सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल

(c) अनुच्छेद 320 : लोक सेवा आयोगों के कार्य

(d) अनुच्छेद 322 : लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी

उत्तर d

व्याख्या: अनुच्छेद 322 : लोक सेवा आयोगों का खर्च

5. नीति आयोग

1. नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं?

(a) राजीव कुमार

(b) अरविंद सुब्रमण्यम

(c) अमिताभ कांत

(d) नरेंद्र मोदी

उत्तर: c

व्याख्या: अप्रैल 2019 तक; अमिताभ कांत NITI Aayog के वर्तमान सीईओ हैं और राजीव कुमार इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं.

2. नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया था

(b) नीति आयोग; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है

(c) नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है

(d) नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है

उत्तर: d

व्याख्या: नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है. इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया है और इसका फुल फॉर्म National institution for Transforming India है.

3. नीति आयोग की स्थापना कब हुई?

(a) 1 जनवरी 2015

(b) 25 जनवरी 2016

(c) 14 मई 2014

(d) 1 जुलाई 2015

उत्तर: a

व्याख्या: नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था. इसका मुख्य काम देश के विकास के लिए नीतियां बनाना है.

4. नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

I. नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना है.

II भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं

III. नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं

(ए) केवल II और III

(b) केवल II

(c) केवल I

(d) केवल I और II

उत्तर: d

व्याख्या: नीति आयोग की संरचना में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्यों (अग्रणी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों से जुड़े लोग) शामिल होते हैं. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य भी होते हैं. आयोग का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (भारत सरकार के सचिव के पद के साथ), जो इसके प्रशासन और सचिवालय का कार्य देखता है.

5. निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है?

(a) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री

(b) दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री

(c) अंडमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर

(D. उपरोक्त सभी

उत्तर: d

व्याख्या: दिल्ली और पुदुचेरी सहित सभी राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल और विशेष आमंत्रित, लोग नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा होते हैं.

6. निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है?

(a) राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना

(b) सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना

(c) भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना

(d) ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली बनाना

उत्तर: c

व्याख्या: पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा दिया जाता है. 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी. इसलिए अब नीति आयोग की पंचवर्षीय योजनाओं में कोई भूमिका नहीं है.

7. 1 जून, 2018 और 31 अक्टूबर, 2018 की अवधि के लिए निम्नलिखित जिले में से किस जिले ने एस्पिरेशनल जिलों की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था?

(a) विरुधुनगर (तमिलनाडु)

(b) मेवात (हरियाणा)

(c) पाकुड़ (झारखंड)

(d) हैलाकांडी (असम)

उत्तर: a

व्याख्या: विरुधुनगर (तमिलनाडु), नौपाड़ा (ओडिशा) और सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश) 1 जून, 2018 और 31 अक्टूबर, 2018 की अवधि के लिए नीती आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शीर्ष तीन जिलों के रूप में उभरे हैं।

8. नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) जिलों की एस्पिरेशनल रैंकिंग 10 मापदंडों पर आधारित है

(b) आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी

(c) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी, 2016 को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल शुरू की गयी थी

(d) उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं

उत्तर: b

व्याख्या: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी, 2018 को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसकी पहली लिस्ट जून 2018 में जारी की गयी थी.

9. नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है?

(a) नीति आयोग प्रधान कार्यालय: दिल्ली

(b) नरेंद्र मोदी: अध्यक्ष

(c) पैरेंट एजेंसी: भारत सरकार

(d) नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया: राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा

उत्तर: d

व्याख्या: नीति आयोग ने भारत के योजना आयोग का स्थान लिया है नाकि कि राष्ट्रीय विकास परिषद का. यह कथन भी सही है कि नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है और प्रधानमन्त्री इसका चेयरमैन होता है.

6. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

1. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गयी थी?
(a) 1982
(b) 1963
(c) 1956
(d) 1971
उत्तर: b
व्याख्या: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के आधार पर स्थापित की गयी थी.
2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गयी थी?
(a) संथानम समिति
(b) राजमन्नार समिति
(c) पुंछी समिति
(d) उपर्युक्त में से कोई नही
उत्तर: a
व्याख्या: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना संथानम समिति (1962-64) की सिफारिश के आधार पर की गयी थी.
3. निम्न में से कौन सा कथन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में सही नही है?
(a) CBI को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम, 1964 से मिलती है
(b) यह एक संवैधानिक संस्था है
(c) यह केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करती है
(d) इसका मिशन संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना है
उत्तर: b
व्याख्या: केन्द्रीय जाँच ब्यूरो; एक संवैधानिक संस्था नही है.CBI केंद्र सरकार की मुख्य अनुसन्धान एजेंसी है.
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कौन करता है?
(a) राष्ट्रपति
(b) प्रधानमन्त्री
(c) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा
(d) गृहमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा
उत्तर: c
व्याख्या: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति; केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाती है. समिति में सतर्कता आयुक्त , गृह मंत्रालय के सचिव और मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव इसके सदस्य होते हैं.
5. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है?

(a) 5 वर्ष
(b) 4 वर्ष
(c) 3 वर्ष
(d) 2 वर्ष
उत्तर: b
व्याख्या: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति; केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के द्वारा 2 वर्षों के लिए की जाती है.
6. निम्न में से कौन सी शाखा का सम्बन्ध सीबीआई से नही है?
(a) भ्रष्टाचार निरोधक शाखा
(b) आर्थिक अपराध शाखा
(c) फॉरेंसिक विज्ञान
(d) मौसम विज्ञान शाखा
उत्तर: d
व्याख्या: मौसम विज्ञान शाखा का सम्बन्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से नही है बल्कि इसका सम्बन्ध मौसम-विज्ञान विभाग (Metereological department) से है.
7. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरोकिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
(a) गृह मंत्रालय
(b) कार्मिक मंत्रालय
(c) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(d) कानून मंत्रालय
उत्तर: b
व्याख्या: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गयी थी लेकिन बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय के अंदर कर दिया गया था.
8. निम्न में से किस मामले की जाँच का केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत आता है?
(a) सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन
(b) तस्करी
(c) दुराचार
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर: d
व्याख्या: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो केन्द्रीय कर्मियों के भ्रष्टाचार, विदेशी मुद्रा विमिमय विनियमन का उल्लंघन, राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के सभी मामलों की जाँच करता है.
9. निम्न में से कौन इंटरपोल के 'नेशनल सेंट्रल ब्यूरो' के रूप में कार्य करता है?
(a) केन्द्रीय सतर्कता आयोग
(b) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(c) मुख्य सूचना आयुक्त
(d) कानून मंत्रालय
उत्तर: b
व्याख्या: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत में इंटरपोल के 'नेशनल सेंट्रल ब्यूरो' के रूप में कार्य करता है.

7 सूचना आयोग

1. राज्य सूचना आयुक्त का पद किसके अस्तित्व के कारण बनाया गया है?
(a) सूचना का अधिकार अधिनियम
(b) शिक्षा का अधिकार अधिनियम
(c) केंद्रीय सूचना आयुक्त
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर: a
स्पष्टीकरण: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है.
2. राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है?
(a) 3 वर्ष
(b) 5 वर्ष
(c) 6 वर्ष
(d) निश्चित नहीं है
उत्तर: b
स्पष्टीकरण: राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पद पर 5 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं.
3. निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्य सूचना आयुक्त (एसआईसी) के बारे में सही नहीं है?
(a) राज्य सूचना आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है
(b) राज्य सूचना आयुक्त को फिर से नियुक्त किया जा सकता है
(c) राज्य सरकार को राज्य सूचना आयुक्त वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है
(d) राज्य सूचना आयोग का गठन एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और अधिक से अधिक 10 राज्य सूचना आयुक्तों से मिलकर होता है.
उत्तर: b
स्पष्टीकरण: राज्य सूचना आयुक्तों को पद पर फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है. उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक के लिए निर्धारित है
4. राज्य सूचना आयोग के प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
(a) राज्य का राज्यपाल
(b) भारत के राष्ट्रपति
(c) राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिस के आधार पर राज्य का राज्यपाल
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर: c
स्पष्टीकरण: राज्य सूचना आयोग के प्रमुख और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होती है, जिसमें अध्यक्ष, विधान सभा में विपक्ष के नेता और एक राज्य कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं.
5. राज्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है?
(a) राज्य का मुख्यमंत्री

(b) मुख्य राज्य सूचना आयुक्त
(c) भारत के राष्ट्रपति
(d) राज्य का राज्यपाल
उत्तर: d
स्पष्टीकरण: राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा कुछ परिस्थितियों में अक्षमता, लाभ के दो पद धारण करने और दिवालिया होने की स्थिति में पद से हटाया जा सकता है.
6. निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राज्य प्रमुख और किसी अन्य राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है?
(a) यदि वह दिवालिया हो गया है
(b) यदि वह अपने कार्यालय के बाहर किसी अन्य नौकरी में संलग्न है
(c) यदि वह राज्यपाल की दृष्टि में पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है
(d) यदि वह ईश्वर को नहीं मानता है
उत्तर: d
व्याख्या: ईश्वर में विश्वास व्यक्तिगत पसंद की बात है. इसलिए यह राज्य सूचना आयुक्त और उसके प्रमुख को हटाने का उचित कारण नहीं है.
7. निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयुक्त की शक्ति और कार्य नहीं है?
(a) आयुक्त किसी भी मामले में उसके पास आये मामलों में उचित आधारों पर किसी से भी पूछताछ कर सकता है
(b) जाँच के दौरान आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति है.
(c एक शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी ऐसी जानकारी की जांच नहीं कर सकता है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की हिरासत में हो.
(d आयोग गलत अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है
उत्तर: c
स्पष्टीकरण: एक शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी भी जानकारी की जांच कर सकता है भले ही यह किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की हिरासत में हो.
8. भारत के हर राज्य में कितने राज्य सूचना आयुक्त हैं?
(a) 10
(b) 8
(c) संख्या राज्य से अलग-अलग होती है
(d) 5
उत्तर: c
स्पष्टीकरण: संख्या राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है. लेकिन राज्य सूचना आयुक्त 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त (एसआईसी) नहीं हो सकते हैं.
9. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और अन्य सेवाएं शर्तें ……... के समान हैं
(a) चुनाव आयुक्त
(b) राज्य सरकार के मुख्य सचिव
(c) मुख्य सूचना आयुक्त
(d) सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: a

स्पष्टीकरण: राज्य के मुख्य सूचना आयुक्तों का वेतन भत्ता और अन्य सेवा शर्तें भारत के चुनाव आयुक्त के समान हैं.

10. वर्तमान में भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं?

(a) श्री बिमल जुल्का

(b) श्री सुधीर भार्गव

(c) श्रीमती वनजा एन सरना

(d) श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा

उत्तर: b

स्पष्टीकरण: श्री सुधीर भार्गव भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं. वह जून 2015 से सूचना आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे.

8 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गयी है?

(a) अनुच्छेद 76

(b) अनुच्छेद 153

(c) अनुच्छेद 148

(d) अनुच्छेद 127

उत्तर c

व्याख्या: अनुच्छेद 148

2. निम्न में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नही है?

(a) यह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है

(b) इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है

(c) इसे सार्वजानिक फंड का संरक्षक कहा जाता है

(d) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप में “महालेखा परीक्षक” कहा जाता है

उत्तर b

व्याख्या: इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर तक होता है.

3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है?

(a) वित् मंत्री

(b) राष्ट्रपति

(c) संसद

(d) प्रधानमंत्री

उत्तर b
व्याख्या: राष्ट्रपति
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है?
(a) 6 वर्ष

(b) 5 वर्ष

(c) समयावधि तय नही होती है

(d) 3 वर्ष

उत्तर a
व्याख्या: 6 वर्ष
5. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देता है?
(a) वित् मंत्री

(b) लोक सभा स्पीकर

(c) राष्ट्रपति

(d) प्रधानमंत्री

उत्तर c
व्याख्या: राष्ट्रपति
6. निम्न में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही है?
(a) कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नही कर सकता है.

(b) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है

(c) इसे संसद द्वारा हटाया पद से हटाया जा सकता है

(d) यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है

उत्तर a
व्याख्या: कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नही कर सकता है.

7. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है?
(a) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह

(b) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह

(c) लोक सभा में प्रस्ताव पास करके

(d) केवल वित्त मंत्री की सलाह से

उत्तर a
व्याख्या: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह
8. निम्न में से कौन सा कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नही है?
(a) वह केंद्र सरकार के लेखों से सम्बंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है

(b) भारत की संचित निधि की रक्षा करता है

(c) केंद्र से सहायता प्राप्त करने वाले अभी ऑफिस/संस्थानों का लेखा परीक्षण करता है

(d) वह राज्य सरकार के लेखों से सम्बंधित रिपोर्ट संसद में रखता है

उत्तर d
व्याख्या: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य सरकार के लेखों से सम्बंधित रिपोर्ट संसद में नही रखता है बल्कि राज्यपाल को सौंपता है जो कि उसे विधानमंडल के पटल पर रखता है.
9. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है?
(a) प्रधानमंत्री

(b) वित्त मंत्री

(c) संसद

(d) राष्ट्रपति

उत्तर c
व्याख्या: संसद
10. निम्न में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है?
(a) भारत की संचित निधि

(b) राज्य की संचित निधि

(c) प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधान सभा हो

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर d
व्याख्या: उपर्युक्त सभी